14.20 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF NATIONAL SECURITY ORDINANCE AND NATIONAL SECURITY BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the Statutory Resolution seeking disapproval of the National Security Ordinance, 1980 and the National Security Bill for which 7 hours have been allotted. If the House agrees, we may have 4 hours for the Statutory Resolution and the General Discussion on the Bill, 2 hours for clause-by-clause consideration of the Bill and 1 hour for third reading of the Bill.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I suggest 5 hours and 2 hours respectively.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 4 hours for the Statutory Resolution is quite reasonable. The discussion is together only.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): 4 hours is not sufficient.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): You will be forced to make it 10 hours. The hon. Members on both the sides have to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We cannot increase 7 hours. Five hours, as suggested by an hon. Member, for General Discussion and two hours for Clause-by-Clause Consideration and also Third Reading.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am agreeing to your point. Somebody suggested this.

PROF. MADHU DANDAVATE: The Business Advisory Committee is meeting. There we shall put forward the proposition....

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. The time allotment now is five hours and two hours. This is tentative, as you say.

My appeal to all of you is this. Every Party has been allotted some time. I would ring the bell. Of course, you will forgive me for ringing the bell at a time when you may be dealing with a very important point. Therefore, you will all cooperate so far as time is concerned. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: The hon. Member who moves the motion always takes more time irrespective of his Party affiliation. That should be borne in mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is half an hour. Don't worry. Mr. Atal Bihari Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:—

यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 महीनों में 19 अध्यादेश जारी किये गये। कल हम ने एक अध्यादेश पर मुहर लगाई थी और आज दूसरा अध्यादेश विचार के लिए पेश है। संविधान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है किन्तु इस अधिकार का दुरुपयोग रहा है। संविधान की धाराओं के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय का यह दायित्व है कि वे स्वयं को संतुष्ट करें कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, जिस में अध्यादेश जारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लेकिन इस समय जो अध्यादेश जारी किये गये हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा से ले कर वनों के संरक्षण तक जाल फैलाते हैं। क्या वनों के संरक्षण का अध्यादेश रुक नहीं सकता था? क्या उस के लिए सरकार सदन की बैठक के लिए थम नहीं सकती थी। लेकिन अध्यादेशों का राज्य है और पार्लियामेंट में प्रति दिन एक अध्यादेश आता है। सचमुच में कल जो अध्यादेश पारित किया गया, उस के बाद नेशनल सेक्यूरिटी आर्डीनेन्स की जरूरत ही नहीं रहती। आप ने जूडीशियल मैजिस्ट्रेट के अधिकार एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे दिये और सभी कानून

अब इस सीमा में आ गये कि अगर एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो सरकार का अफसर होगा, समझता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से रोकने के लिए जमानत मांगना जरूरी है, तो वह जमानत मांग सकता है अगर ठीक जमानत न हो, तो जमानत को रद्द कर सकता है, अगर गिरफ्तार कर के जेल में डालना चाहे, तो वह भी कर सकता है। जमानत के नियम और कड़े बना दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस नेशनल सेक्योरिटी आर्डीनेन्स की जरूरत क्या थी? 22 सितम्बर, 1980 को देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिस से सरकार की नींद हराम हो गयी, उस ने व्यक्तिगत स्वाधीनता पर हमला करने का फैसला कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर जब धारानुसार बहस होगी तो यह प्रश्न उठेगा कि इस आर्डिनेंस के अन्तर्गत जो डिफेंस आफ इंडिया की चर्चा की गयी है, सिक्योरिटी आफ इंडिया की चर्चा की गयी है और सिक्योरिटी आफ स्टेट की चर्चा की गयी है, इनमें फर्क क्या है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है कि डिफेंस आफ इंडिया और सिक्योरिटी आफ इंडिया में क्या फर्क है? अगर फर्क है तो सिक्योरिटी आफ इंडिया और सिक्योरिटी आफ स्टेट में क्या फर्क है? लेकिन अध्यादेश जल्दबाजी में लिखे जा रहे हैं और उस से भी ज्यादा जल्दबाजी में उन्हें लागू किया जा रहा है। सरकार संसद् की बैठक के लिए भी रुकने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा दिखायी देता है कि हर मोर्चे पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए यह किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

जब मैं यह कहता हूं कि मुझे दिखायी देता है तो मैं आपकी आंख से तो देख नहीं सकता। **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि देखूं मैं मगर आंख इनकी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, विफलताओं की चर्चा करने पर हमारे माननीय मित्र बौखला उठते हैं। अगर आप विफल नहीं हुए हैं और देश में सब कुछ ठीक है, कीमतें कम हो रही हैं और जरूरत की चीजें पर्याप्त मात्रा में बाजारों में उपलब्ध हैं, अगर जान-माल की पूरी हिफाजत है और शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते हैं, हर जगह चैन की बंसी बज रही है और आनन्द की गंगा बह रही है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की क्या जरूरत है? हमारे विरोधी मित्र दोनों पैंतरे एक साथ नहीं उठा सकते। अगर 10 महीने में स्थिति सुधरी है तो यह अध्यादेश अनावश्यक है। यदि स्थिति सुधरी नहीं है, और अधिक बिगडी है तो बिगड़ती हुई स्थिति के खिलाफ लोग अपनी आवाज न उठा सकें, उनका गला दबाने के लिए आप यह अध्यादेश लाये हैं।

भारत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ ह्यूमन राइट्स का साझीदार है। उस डिक्लेअरेशन की धारा 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आरबीट्रेरीली अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। हम ने भी अपने संविधान में धारा 51 (3) में यह कहा है कि हम इन्टरनेशनल कानूनों का पालन करेंगे। लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं। आज के समाचारपत्रों में इन्टरनेशनल अमेनेस्टी की एक रिपोर्ट छपी है। उन्होंने जब यह रिपोर्ट लिखी थी तो उनको पता नहीं था कि हिन्दुस्तान में कितनी तेजी से स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा है कि प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड सप्लाई आफ असेंशयल कमोडिटीज में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था है, वह उचित नहीं है। लेकिन अब जब वे नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि भारी जनाधिकारों के हनन के राजपथ पर कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बिना मुकदमा चलाये जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख कर संविधान में नजरबन्दी का प्रबन्ध किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रबन्ध अस्थायी था, अब उसको स्थायी बनाया जा रहा है। उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने पहली बार नजरबंदी का कानून पार्लियामेंट में पेश किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे रातों को नींद

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

नहीं आयी। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। आज सरदार जैल सिंह हमारे गृह मंत्री हैं, सरदार पटेल को कानून पेश करने से पहले रातों को नींद नहीं आई, लेकिन सरदार जैल सिंह की यह हालत है कि कानून पेश करने के बाद, अध्यादेश लाने के बाद इतने प्रसन्न हैं कि दिन में भी सोना शुरू कर दिया है।

व्यक्तिगत स्वाधीनता पर हमला, व्यक्तिगत स्वाधीनता को मर्यादित रखना युद्ध के काल में तो उचित हो सकता है, लेकिन शांति के काल में नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is also an attack on the individual liberty of sleeping.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It is not objectionable. The Home Minister is not here. It is he who has to execute the order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has come now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: व्यक्तिगत स्वाधीनता को अवरुद्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि सामान्य कानून का उपयोग करके देश की परिस्थिति को काबू में नहीं रखा जा सकता तो मानना पड़ेगा कि सरकार परिस्थिति पर काबू नहीं कर पा रही है। वह असाधारण अधिकार लेने जा रही है। इन असाधारण अधिकारों की क्या आवश्यकता है? आप विधेयक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाला वक्तव्य देख लें। उससे किसी को संतोष नहीं हो सकता है।

नजरबंद करने का अधिकार दिया जा रहा है जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नर को दिल्ली में पुलिस कमिश्नर का राज है, दिल्ली में लोग नजरबंद किए जा रहे हैं, आदेशों की नकलें मेरे पास हैं। पुलिस कमिश्नर को इतना समय नहीं है कि हर मामले पर गौर कर सकें, आजादी छीनने से पहले अपने को संतुष्ट कर सकें। साइक्लोस्टाइल किए हुए आदेश रखे हुए हैं, जिनमें केवल नाम भरे जाते हैं, पुलिस कमिश्नर को दस्तखत करने का भी वक्त नहीं है, दस्तखत भी साइक्लोस्टाइल कर दिए गए, एक कापी पर दस्तखत कर दिए बाकी के सब साइक्लोस्टाइल किये गये दस्तखत से लोगों की आजादी छीनी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग मीसा में 19 महीने बंद थे। जब मीसा आया तो यह आश्वासन दिया गया था कि इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुभव क्या हुआ? गृह मंत्री महोदय भी यह आश्वासन देते हैं, मगर उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता नजरबंद किए गए इस काले अध्यादेश के अंतर्गत। गुजरात में मूल्य वृद्धि के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले गिरफ्तार किए गए। अगर उन्होंने कोई अपराध किया था तो उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। अगर वे शांति भंग के अपराधी हैं तो कानून उनको खबर लेगा, लेकिन सबूत नहीं, प्रमाण नहीं, गवाह नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं, अपील नहीं, अंग्रेजी राज के रौलट एक्ट के जमाने को फिर से ताजा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के जिला-अधिकारी ने सिफारिश की कि कुछ लोग पेशेवर गुण्डे हैं, हैबीचुअल अफेंडर्स हैं. . . (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज): मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने मीसा में लोगों को नजरबंद किया था। कौन सा परिपत्र भेजा था आपने, इस पर भी आप प्रकाश डालें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं प्रकाश भी डालूंगा और आपके ऊपर थोड़ा अंधेरा भी डालूंगा।

जिले के अफसरों ने सिफारिश की कि कुछ लोगों को नजरबंद कर देना चाहिए क्योंकि वे गुंडे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इंदौर में एक उपचुनाव होने वाला था और उस उपचुनाव को जीतने के लिए गुंडों की मदद की जरूरत थी। मुख्य मंत्री ने बयान दिया कि हम व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनने से पहले सौ बार सोचना चाहते हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सौ बार सोचना चाहते हैं तो केन्द्र के गृह मंत्री को

एक हजार बार तो सोचना ही चाहिए। लेकिन वह सोचने के लिए तैयार नहीं है।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक ऐसे व्यक्ति को नजरबंद किया गया है जिस पर आरोप लगाया गया था कि तुम उस तारीख को अमुक कार्रवाई कर रहे थे जबकि उस तारीख को वह जेल में था। अगर जेल में था तो वह अपराध कैसे कर रहा था और अगर अपराध नहीं कर रहा था तो नजरबंद कैसे हो सकता है।

एक माननीय सदस्य: आर. एस. एस. का बहुरूपिया होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कुछ उधर भी बैठे हैं, जरा होशियार रहिये। सरकार अदालतों के सामने जाने से कतराती क्यों है? 24 घंटे के अन्दर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए अगर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा तो केरल में जिस तरह से राजन की हत्या हुई उस तरह से हत्यायें होंगी, भागलपुर में जिस तरह से आंखें निकाली गईं उस तरह से आंखें निकाली जाने के प्रकरण होंगे। आखिर आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास कोई सामग्री तो होती है जिस के आधार पर आप नजरबंदी के आदेश देते हैं। अगर वह सामग्री और वे कारण किसी को नजरबंद करने के लिए काफी है तो वह आधार और वे कारण जिस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है, उसको बताने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये? लेकिन मैं दिल्ली का आदेश पढ़ कर सुना सकता हूं। एक आदेश में कहा गया है क्योंकि आप लगातार अपराध करते रहते हैं इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब आपको नजरबंद किया जाएगा। क्या अपराध करने वालों के खिलाफ आपके पास और कोई कानून नहीं है? क्या आप अपराधी को कठघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं? क्यों इंसाफ की तराजू पर सरकार अपने आपको तोलने के लिए तैयार नहीं है?

युद्धकाल में जब सीमाओं पर संकट हो, भारत की आजादी पर आंच आए, प्रादेशिक अखंडता खतरे में पड़ जाए, तब उस असाधारण परिस्थिति में व्यक्ति की स्वाधीनता को सीमित करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने मीसा का जिस तरह से दुरुपयोग किया उसको देखते हुए अब राष्ट्रीय संकट के समय भी हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के बारे में कुछ कहने से पहले दो बार जरूर सोचना चाहेंगे। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। 1971 में बंगला देश के संकट का लाभ उठा कर इस देश में मीसा पास किया गया था। विरोधी दल ने कोई आपत्ति नहीं की थी। बाद में जब जय प्रकाश जी जैसे नेता को नजरबंद कर दिया गया था तब भारत के एटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो कर कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे तो कोई एतराज नहीं कर सकता है। उस पुराने इतिहास को क्या हम भूल सकते हैं? आज कौन सी नई परिस्थिति पैदा हो गई है? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्यों आपको यह काला कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई है? लार्ड सीमन ने कहा था जिस को मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

> "To arrest a person without telling him as to why he is being arrested is the law of tyrant and that of slaves."

यह नैशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस नहीं है, यह नैशनल स्लेवरी आर्डिनेंस है। हम को आपकी नीयत पर शक है। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं उसको देखते हुए हम ये असाधारण अधिकार आपके हाथ में नहीं दे सकते।

श्री राम प्यारे पनिका: मध्य प्रदेश में क्या हुआ था आपके राज में?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ये बार-बार कह रहे हैं कि जनता पार्टी भी इसको लागू करना चाहती थी। आपको याद है कि जनता पार्टी के राज में एक बिल पेश किया गया था लेकिन जनमत के दबाव से और पार्टी के दबाव से उस बिल को वापिस लेना पड़ा था। हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कितना जोर दिखाती है। (व्यवधान) मगर कांग्रेस पार्टी के मेम्बर तो इमर्जेन्सी की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे): यह बात सच नहीं है। वह कुर्सी के लोभ की वजह से वापस लिया गया था—फूट थी, इसलिए वापस लिया गया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हमारे विरोधी यह भी नहीं समझ सकते हैं कि जनता सरकार के खिलाफ कड़ाई करने के शिकायत नहीं है, शिकायत है ढिलाई करने की हमने विरोधियों को नजरबंद नहीं किया ।

श्री राम प्यारे पनिका: ढिलाई करने वालों को जनता पसंद नहीं करती है। इसी लिए उसने इन लोगों को हटा दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसी लिए इन्होंने कड़ाई करने का फैसला किया है।

श्री राम प्यारे पनिका: जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यह बिल लाया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल से जनता की कौन सी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। आज देश में जन-असंतोष का जो दावानल सुलग रहा है, हजारों लोगों को नजरबंद कर के भी आप उसे शान्त नहीं कर सकते। दस महीने हो गये हैं, आसाम जल रहा है। फौज को बुला कर आसाम की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। **(व्यवधान)** किसानों को अगर उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी, तो वे आन्दोलन करेंगे। **(व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. Any Member interrupting should know this. If he wants to interrupt the Speaker, Shri Vajpayee, first he must yield. Then only you can put the thing. If he does not yield you cannot interrupt. Every one of you gets up so often.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You know, I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thatt is why from here you have gone there!

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में शान्तिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए पूरा अधिकार है। यदि किसान गन्ने की उचित कीमत मांगे, तीस रुपये क्विंटल की आवाज उठायें, ------- **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अधिकार है कि मिलों को अपना गन्ना बेचने से रोकें।

श्री वसंत साठे: रास्ता रोकना भी विरोध-प्रदर्शन में आता है शायद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: श्री वसंत साठे जानते हैं कि महाराष्ट्र में "रास्ता रोको" आन्दोलन में उनकी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे: एक भी नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ऐलान किया कि अगर किसानों से यह कहा जायेगा कि चीनी मिलों को गन्ना मत बेचो, तो ऐसा कहने वाले नेताओं को नेशनल सिक्युरिटी आर्डिनेंस के अन्तर्गत जेल भेज दिया जायेगा । **(व्यवधान)**

AN HON. MEMBER: He said about obstructing the farmers.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस आर्डिनेंस की धाराएं देखिए । इससे पहले एसेंशल कामोडिटीज के नाम पर जो कानून बनाया गया, उसको उठा कर देखिये । यह "डिफेंस आफ इंडिया" और "सिक्युरिटी आफ इंडिया" इतना व्यापक है कि कोई गतिविधि इसमें से बचने वाली नहीं है ।

एक और विचित्र बात है । इसमें कहा गया है कि अगर कोई विदेशों के साथ इस देश के सम्बन्ध बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी । मुझे लगता है कि अगर सचमुच कोई विदेशों के साथ सम्बन्ध बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह सब से पहले गृह मंत्री, ज्ञानी जैल सिंह, हैं, जो हर चीज में, हर उपद्रव में, हर अशांति में विदेशी हाथ देखते हैं । जब उनसे पूछा गया कि आप विदेशी हाथ के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं, तो वह कहते हैं कि विदेशी हाथ दिखाई नहीं देता है, कार्यवाही कैसे करें । अगर हाथ दिखाई नहीं देता है, तो वह विदेशी है या स्वदेशी, यह कैसे पता चला? जब गृह मंत्री ने मुरादाबाद में विदेशी हाथ होने की बात कही तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात का खंडन नहीं किया । पहले वह मौन धारण करके बैठी रहीं कि मुरादाबाद में कोई विदेशी हाथ है या

नहीं, मगर उनके सहयोगी विदेशी हाथ की बात कहते रहे, सरकारी प्रवक्ता ने मुंह नहीं खोला । जब प्रधान मंत्री मुरादाबाद गईं तो कहने लगीं कि विदेशी हाथ नहीं है, विदेशी हस्तक्षेप है । There is no foreign hand, there is foreign interference. यह कैसी सरकार है जो विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करती है? मैं पूछना चाहता हूं कि "फारेन हैंड" और "फारेन इंटरफेयरेंस" में क्या फर्क है? अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए कहीं विदेशी हाथ की बात, कहीं विरोधियों को दोषी ठहराना, कहीं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देना, इस तरह की बातें की जाती रही हैं । मगर ये चीजें अब चल नहीं रही हैं ।

दस महीने गुजार दिए यह कह कर कि जनता के राज में हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों को ठीक करते करते वक्त लगेगा। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कितना वक्त लगेगा तो पूछने वालों का मुंह बन्द करने के लिए अब नेशनल सेक्योरिटी आर्डिनेंस ले आए । आप बोल नहीं सकते, आप मुंह नहीं खोल सकते, पुलिस अफसर के हाथ में आप की आजादी होगी । पुलिस के कमिश्नर दिल्ली में सब जगह नहीं देख सकते । हालत यह होगी कि थानेदार तय करेगा कि किस व्यक्ति को नजरबन्द किया जाय या न किया जाय । हमने एमर्जेंसी में देखा कि नजरबन्द करने का डर दिखा कर लोगों से रिश्वत ली जाती थी, लोगों को आतंकित करने की कोशिश होती थी। सरकार उसी तरफ आगे बढ़ रही है ।

जब आर्डिनेंस जारी किया गया तो यह कहा गया था, आप आर्डिनेंस को पढ़ कर देखें, क्लाज 9 (2) है, उस में कहा गया था कि एडवाइजरी बोर्ड होगा । यह भी कहा गया कि एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष चीफ जस्टिस की सलाह से नियुक्त किया जाएगा और जो दो मेम्बर होंगे वह या तो सिटिंग जज होंगे या रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज होंगे। अब जो बिल आया है उस में इस को बदल दिया गया है। मैं जानता हूं विधि मंत्री कहेंगे या गृह मंत्री कहेंगे 44वें अमेंडमेंट के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन होना चाहिए था वह जनता सरकार ने नहीं किया, मगर आप ने आर्डिनेंस जारी करने से पहले वह क्यों नहीं देखा। आर्डिनेंस अलग है, बिल अलग है। कई प्रदेशों में एडवाइजरी बोर्ड बन गए हैं जो कंजर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन आफ स्मग्लिंग एक्ट के अंतर्गत बने हैं, प्रिवेंशन आफ ब्लैक-मार्केटिंग एंड मेंटिनेंस आफ सप्लाई आफ एसेंशियल कमोडिटीज के अन्तर्गत बने हैं, मगर नेशनल सेक्योरिटी बिल के अन्तर्गत जो बोर्ड बनेंगे उन में किसी भी एडवोकेट को जिस की दस साल तक की प्रेक्टिस होगी उसे सरकार नियुक्त कर देगी। चुन-चुन कर एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भरे जाएंगे । वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी इच्छा के जजों को लाने की कोशिश हो रही है । स्थान खाली पड़े हैं, यह कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में एरियर्स बहुत हैं और इसलिए हम सिटिंग जज को इस काम के लिए खाली नहीं कर सकते । यदि ऐसा है तो आप जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कल भी हम ने देखा और आज फिर इस बात की चेष्टा हो रही है कि सरकार अदालत के सामने नहीं जाना चाहती । कल जूडिशियल मैजिस्ट्रेट का अधिकार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया । आर्डिनेन्स और बिल के बीच में फर्क करके एक कमी का फायदा उठा कर कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, सरकार एडवाइजरी बोर्ड ऐसा बनाना चाहती है जिस में उस की इच्छा के लोग नियुक्त हो कर जाएंगे। ऐसे एडवाइजरी बोर्ड में जब मामले जाएंगे वह मामले तय हो सकें इस के लिए जिन्हें नजरबंद किया जाएगा उन्हें वकीलों की सहायता पाने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में ऐसे मामले हैं कि डिटेंशन आर्डर दे दिया गया लेकिन डिटेंशन आर्डर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जिस को आर्डर दिया गया वह अंग्रेजी जानता नहीं है। वकील की सलाह नहीं ले सकते । वह अपनी सफाई कैसे पेश करेगा? इसका मतलब एक ही है कि सारी सत्ता का केन्द्रीयकरण, निरंकुश, स्वेच्छाचारी शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, न्यायपालिका के अधिकारों पर आघात और देश में इस तरह का एक माहौल बनाना कि भारत की सुरक्षा खतरे में है और जब सुरक्षा खतरे में है तो व्यक्तिगत आजादी का क्या मतलब है?

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात का खण्डन किया है और कहा है कि वह पाकिस्तान से किसी तरह की मुठभेड़ नहीं चाहती

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

है, मैत्री सम्बन्ध और बढ़ाना चाहती है-- मैं इस एलान का स्वागत करता हूं । आजकल रूस के नेता हमारे देश में आए हुए हैं उनकी और हमारी मैत्री पुरानी है, काल की कसौटी पर खरी उतरी है, हमें उस मैत्री को और मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनसे यह भी कहना चाहिए कि उन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ किया है वह ठीक नहीं किया है और अगर वैसा ही पोलैण्ड में भी करने जा रहे हैं तो वह भी ठीक नहीं होगा। (व्यवधान) लेकिन इस मामले को मैं यहां पर नहीं उठा रहा हूं । चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य करने की बातचीत हो रही है। नैपाल और बंगलादेश हमारे मित्र हैं । तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कहां है? देश के भीतर जरूर तनाव है। देश में सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, देश में आर्थिक गैरबराबरी बढ़ रही है । अगर देश में पिछड़ापन है, अगर सबके बराबर अधिकार नहीं हैं, अगर किसी वर्ग के साथ या किसी क्षेत्र के साथ पिछले 33 वर्षों में हम न्याय नहीं कर पाए तो तनाव बढ़ेंगे। लेकिन उन तनावों को हल करने का तरीका जेलों के दरवाजे खोलना नहीं है, उसके लिए व्यक्तियों के दिलों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे । (व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि यह अध्यादेश भारत के संविधान की भावना के विपरीत है। यह आपके इस एलान को भी झुठलाता है कि आप जनबल के आधार पर चुने गए हैं। यह आपके इस दावे का खोखलापन भी साबित करता है कि देश में सब कुछ ठीक है । यह खतरे की घंटी है। आज व्यक्तियों को नजरबन्द करने का अधिकार लिया जा रहा है और कल आधारभूत अधिकारों को पूरी तरह से अपहृत करने की कोशिश की जायेगी । यह चोर दरवाजे से इमर्जेन्सी लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुले दरवाजे से, राजपथ पर चलकर तानाशाही आ रही है। मुझे दुःख है कि यह काम गृह मन्त्री जी को करना पड़ रहा है । मैंने उदाहरण दिया कि सरदार पटेल नजरबन्दी का कानून लाने से पहले रातों को सोये नहीं थे और ज्ञानी जैल सिंह के लिए दिन को भी सोना आसान हो जायेगा जब हम सभी लोग जेलों में बन्द हो जायेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"That this House disapproves of the National Security Ordinance, 1980 (Ordinance No. 11 of 1980), promulgated by the President on the 22nd September, 1980."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि श्री वाजपेयी जी की जो स्पीच हुई है, वह तो इसके खिलाफ जो कुछ उन्होंने कहना था, कह गए हैं । उनका जवाब तो मैं अभी नहीं दूंगा, आखिर में उन की सारी बातों का जवाब दूंगा और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को आजकल के हालात की पूरी चिन्ता है। साम्प्रदायिक भेदभाव, जातिगत झगड़ों, सामाजिक तनाव, अतिवादियों के कार्यकलाप, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, अल्पसंख्यकों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों पर अत्याचार और विभिन्न मुद्दों पर हिंसात्मक आन्दोलन देश के जनतन्त्र के हित में नहीं है। कोई भी सरकार यदि वह अपने उत्तरदायित्व को समझती है, बिना प्रभावी कदम उठाए अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकती है। अलहदगी वाले कार्यकलापों और क्षेत्रीय आन्दोलनों ने देश के कुछ भागों में सिर उठाया है। यह तत्व कानूनी सत्ता के लिए गम्भीर चुनौती हैं और कई बार समाज को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों से कठोरता से और प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निवारक शक्तियां होनी चाहिएं ।

यह बिल केन्द्र सरकार को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार देता है, यदि यह आश्वस्त हो जाये कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी ढंग से उसे काम करने से रोकने के लिए

एसा करना आवश्यक है। यह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को ऐसे किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के आदेश देने का भी अधिकार देता है। यदि यह आवश्यक हो जाए कि राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या समाज के लिए अनिवार्य आपूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के विरुद्ध उसे किसी भी प्रकार का काम करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इससे राज्य सरकार, ऐसी अवधि के दौरान, जिसका उल्लेख ऐसा अधिकार दिए जाने वाले आदेश में हो, जिला मैजिस्ट्रेट या पुलिस कमिशनर को उक्त शक्तियों के इस्तेमाल के लिए शक्ति भी दे सकेगा।

विभिन्न राज्य सरकारों ने कुछ एक बन्दी अधिनियम बनाए हैं या आर्डिनेंस जारी बन्दी अधिनियम बनाए हैं या आर्डिनेंस जारी किए हैं, लेकिन सरकार ने सोचा कि व्यापकता और एकरूपता के हित में सारे देश के लिए एक केन्द्रीय कानून बेहतर होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा बिल, 1980 में इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी उपाय रखे गए हैं और यह नजरबन्द किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्याय भी सुनिश्चित करता है। आप जानते हैं कि तीन मौके गिरफ्तार होने वाले को मिलेंगे। एक तो एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगा और उसके लिए पांच दिन के अन्दर-अन्दर उसको ग्राउंड्स देनी होंगी। किसी खास कारण के संबंध में अगर पांच दिन से ज्यादा समय लगे तो लिखत रूप से मैजिस्ट्रेट को, मुताल्लिका आफिसर को लिख कर देना होगा, मगर फिर भी 10 दिनों से ज्यादा उसको समय नहीं लगे। इस आदेश के विरुद्ध अगर एडवाइजरी बोर्ड फैसला दे देता है, तो उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। उस के बाद वहां के स्थानीय अफसर का किया हुआ फैसला स्टेट सरकार के पास जाएगा और उस सरकार के खिलाफ भी शिकायत हो तो केन्द्रीय सरकार के पास जाएगा। इस तरीके से उन को बहुत से मौके मिलेंगे ताकि किसी ऐसे एक्ट के अधीन वह ज्यादती न कर सकें, अफसरान अपनी मन-मर्जी न कर सकें और किसी निर्दोष को जेल में न डाल सकें।

15.0 hrs.

धारा 11 के अधीन यह बोर्ड सरकार या किसी भी व्यक्ति से नई जानकारी की मांग कर सकता है और यदि चाहे तो नजरबन्द व्यक्ति की सुनवाई भी कर सकता है। इस बिल के अधिन जो धाराएं आएंगी मैं उन सब की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह बिल इस बात को ध्यान में रख कर संसद के सामने लाया गया है कि देश के हालात बहुत खतरनाक तरीके की तरफ दौड़ते जा रहे हैं। आप को मालूम है—तीन-चार सालों में हमारे देश में कास्टिज्म, कम्यूनलिज्म, रीजनलिज्म को बढ़ावा मिला, उन को रेस्पैक्टिबिलिटी मिली और उस रेस्पैक्टिबिलिटी की वजह से यह बात हर सभा सोसायटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गर्ज कि हर जगह पहुंच गई। अभी-अभी वाजपेयी जी ने जो कहा—मैं उन की बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पहले तो आप कहते रहे कि जनता सरकार ने काम खराब किया है, उस को सुधारने में देर लगेगी, लेकिन अब तो करीब एक साल होने वाला है, इस बात को अब आप नहीं कह सकते। मैं कहता हूं—आप बिलकुल ठीक कहते हैं। जो वर्तमान सरकार है, यह उस की जिम्मेदारी है और वह इस को अपने सिर पर लेने से इन्कार नहीं कर सकती और न हम करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी या कोई भी सरकार की मशीनरी, अगर एक बार दुरुस्त की गई हो और उस को फिर से खराब कर दिया जाये, तो खराब करने के लिये तो दो घन्टे ही काफी होते हैं, लेकिन उस की मरम्मत करने में बहुत देर लगती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, उस वक्त ऐसी गाड़ी चली, जिस में किसी ने नहीं देखा कि यह ट्रक का पुर्जा है, इस को कार में डालना है या नहीं डालना है, यह एम्बेसेडर का पुर्जा है, इस को फीएट में डालना है या नहीं डालना है। इसीलिये उस वक्त जो गाड़ी चली, उस का एक्सीडेन्ट हुआ और उस एक्सीडेन्ट में, वाजपेयी जी, आप को भी जख्म लगा और दूसरी तमाम पार्टियां भी जख्मी हुईं। अब हम उस तरह की गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं जिस से सब जख्मी हो जायें।

[श्री जैल सिंह]

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जब बिल पेश किया था तो उन को कई दिनों तक नींद नहीं आई। यह बात मुझे तो कहीं दिखलाई नहीं दी कि सरदार पटेल ने जब बिल पेश किया था तो उस वक्त यह बात कही हो। मेरे पास सरदार पटेल की तकरीर का कुछ हवाला मौजूद है। . . .

श्री फूल चन्द वर्मा: अगर इस वक्त नहीं मिलता हो तो कल बतला देना ।

श्री जैल सिंह : अभी बतलाता हूं। मैंने पिछली बार जब इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किया था, उस वक्त भी इन बातों की बहुत चर्चा हुई थी, मैं उन को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 25 फरवरी, 1950 को स्वर्गीय सरदार पटेल ने पहला निवारक नजरबन्दी बिल इस हाउस में पेश किया था। उस वक्त उन को नींद आई या नहीं आई, इस के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा था, उस को आप सुन लें–

"जब कानून तोड़ा जा रहा हो और अपराध किये जा रहे हों, साधारणतया क्रिमिनल ला को लागू किया जाता है। लेकिन जब कानून के आधार को ही नष्ट किया जा रहा हो और ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही हो जिन में, श्री मोतीलाल नेहरू के शब्दों में "आदमी आदमी नहीं होंगे और कानून कानून नहीं होगा," हम महसूस करते हैं कि इमर्जेन्ट और एक्सट्रा-आर्डीनरी कानून लागू करना उचित है।"

स्व. श्री गोविन्द वल्लभ पन्त जी का भी ऐसा ही विचार था । जब उन्होंने 5 दिसम्बर, 1957 को इसी सदन के सामने एक बिल पेश किया था, तो उन्होंने भी यह कहा था–

"प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ाते हुए और यह देखते समय कि किसी पर भी गैर-जरूरी रोक न लगाई जाए, मैं समझता हूं कि यह हम सभी का कर्त्तव्य है कि जहां तक मुमकिन हो, देश के हालात साधारण रहें, अधिक से अधिक लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें, डर के कारण, उन लोगों के कारण जो रूपोश हो कर काम करते हैं या ऐसी ताकतों के कारण जो भावना के आवेग में या गुस्से में आपे से बाहर हो जाती हैं, उन की स्वतंत्रता को भंग न किया जाए. . .मैं कायल हो गया हूं कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, उन में देश के हित में इस अधिनियम को लागू करना निहायत जरूरी होगा।"

डिप्टी स्पीकर साहब, इस के अलावा, एक बात 2 अगस्त, 1952 को इसी सदन में पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी–

"सदन अच्छी तरह जानता है कि जो सरकार इस तरह का बिल पेश करती है, जिस पर आसानी से हमला किया जा सकता है और आसानी से जिस की आलोचना हो सकती है, वह अपने को अनपापूलर बना सकती है और इसे जानते हुये भी, सरकार पूरी हिम्मत के साथ इस बिल को पेश कर रही है। . . . इस तरह का बिल वही सरकार पेश कर सकती है, जो अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह महसूस करती हो। उस से गल्तियां हो सकती हैं, हम सभी से गल्तियां होती हैं लेकिन वह ऐसा तभी कर सकती है जब वह अपनी जिम्मेवारी महसूस करती हो और चाहे जो भी हो, अपनी जिम्मेवारी निभाना सरकार का फर्ज है ।"

यह पं. जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है।

एक माननीय सदस्य: अंग्रेजी में क्या कहा था?

श्री जैल सिंह: आप अगर अंग्रेजी में उसे सुनना चाह, तो मैं सुना सकता हूं।

जो कार्यवाही है, वह अंग्रेजी में लिखी हुई है और मैंने अंग्रेजी का तरजुमा करवाया है। इस तरजुमे में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क लगे और तरजुमा करने वाले की अगर कोई गलती होगी, तो उस की जिम्मेवारी मैं लूंगा । अगर किसी को इस में कोई शंका है, तो मेरे पास अंग्रेजी का भी कोटेशन है और मैं उस को पढ़ सकता हूं ।

तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना

चाहता हूं कि हम जानते हैं कि सुचारु ढंग से इस बिल को लाने वाली सरकार के खिलाफ कुछ समय तक जो अनपापुलेरिटी होगी, उस का मुकाबला भी उस को करना पड़ेगा। और जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन जो इसका विरोध करने वाले हैं मैं उन से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश में आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात करेंगे तो उस से फिर बात नहीं बनेगी। यह जो आने वाली आग है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली आग है, इस को हमें रोकना है।

वाजपेयी जी ने कहा कि हम ने तो बिल वापस ले लिया। हो सकता है कि आपने बिल वापस ले लिया हो, आप कर ही क्या सकते थे? आप तो पांच साल के लिए आये थे लेकिन ढाई साल के बाद वापस चले गये। हम यह नहीं कर सकते हैं। हम ने तो यह बिल आपके सामने रखा है। हम तो इसे पास करेंगे और आप से भी पास करवाना चाहते हैं। आप ने अपनी मजबूरियों की वजह से बिल वापस ले लिया हो लेकिन हमारी वे मजबूरियां नहीं हैं। हमारी पार्टी में कोई मजबूरी नहीं है, हमारी पार्टी में एकता है, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी में सब को पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में आपकी पार्टी की जैसी बगावत नहीं है। हमारे में हिम्मत भी है और हम इस सदन से यह बिल पास करा सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Now, we shall take up amendments.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th February, 1981." (17)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April, 1981." (18)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1981." (50)

SHRI VIJAY KUMAR YADAV (Nalanda): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1981." (188)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Jagpal Singh. Your party has been allotted 14 minutes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Is it out of four hours discussion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Five hours.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Fourteen minutes cannot be out of five hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is only for your information.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): डिप्टी स्पीकर साहब, जो 22 सितम्बर, 1980 को सरकार की तरफ से आर्डिनेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जारी किया गया था, उसके बारे में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत कुछ बताया है। मैं इस बात में बिल्कुल विश्वास रखता हूं कि इस अध्यादेश के वे उद्देश्य नहीं हैं जो कि इस में बताये गए हैं। आप असमाजिक तत्वों के नाम पर, ब्लैकमार्केटिंग के नाम पर, साम्प्रदायिकता पैदा करने वालों के नाम पर हिन्दुस्तान के लोगों की आजादी को छीनने के लिये जा रहे हैं। आप जो इस बिल के बारे में कहते हैं उसमें हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब 1975 में एमर्जेंसी लगायी थी तो उन्होंने बार बार इस देश के लोगों को

[श्री जगपाल सिंह]

विश्वास दिलाया था कि हम मीसा, डी. आइ. आर. का इस्तेमाल हिन्दुस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान के नेताओं के खिलाफ नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान के जो मजदूर हैं, जो अपनी मांगों और बोनस के लिए आन्दोलन करेंगे हम उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज फिर उसी पार्टी के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह इस बिल को लाकर यही कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आपकी प्रधान मंत्री का भूतकाल इस बात को साबित कर चुका है कि आप ऐसा विश्वास पहले भी दिला कर इस देश के लोगों को गुमराह कर चुके हैं। हमारे देश के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मीसा, डी. आइ.आर. और एमर्जेंसी में इस देश के एक लाख लोगों को गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया था। प्रधान मंत्री जी ने इन कानूनों का इस्तेमाल इस देश के मजदूरों, विधार्थियों और राजनीतिज्ञों के खिलाफ किया। हम लोग जेलों में रहे हैं और हमें मालूम है कि एमर्जेंसी के समय 18-18 और 19-19 महीने तक ऐसे लोगों को जेलों में रखा गया, ऐसे ऐसे लगों के ऊपर मुकदमा बनाया गया जिनका कोई कसूर नहीं था। मैं जब जेल में था तो उस समय एक 80 वर्ष के बूढ़े को पकड़ कर लाया गया और यह मुकदमा बनाया गया कि वह खंभे पर चढ़ कर तार काट रहा था। आपका भूत यह सब कुछ बताता है।

आप इस कानून का इस्तेमाल मंहगाई बता कर, पूंजीपतियों के दबाव में आ कर के, मजदूरों को कम तंख्वाह, कम पैसा देने के लिए करने जा रहे हैं। उनकी मांगों को न मानकर आप पूंजीपतियों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल करके। इमरजेंसी में हमें याद है कि आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के नाम पर देश के मजदूरों का शोषण किया था, उनके आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बोनस 8.33 प्रतिशत फिक्स कर दिया था। इसके ऊपर यदि वर्किंग क्लास ने आंदोलन करना चाहा तो मीसा, डी.आई.आर. में जेलों में भेज दिया था। इस कानून का मकसद साफ है कि आप वर्किंग क्लास के मूवमेंट को दबाना चाहते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप साम्प्रदायिकता को मिटाने के नाम पर यह कानून ला रहे हैं, आर्डिनेंस पास करने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों पर मुरादाबाद में ईदगाह पर फायरिंग किया गया था तब क्या किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए थे, उससे पूछा जाए कि उसने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया, लेकिन एक भी अफसर ने यह जिम्मेदारी नहीं ली वहां के किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया था, अगर आदेश नहीं दिया था तो बिना आदेश के ईदगाह पर गोली क्यों चलाई गई? अगर गोली चलाई है तो कहिए देश के लोगों को कि वहां पर सांप्रदायिक झगड़ों में आपकी पुलिस, पी. ए. सी. दोषी थी। अगर दोषी थी तो क्या इस कानून के अंतर्गत आप यह गारंटी देंगे कि इसको पिछले समय से लागू किया जाएगा और उन दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो झगड़े मुरादाबाद के अंदर हुए वे साम्प्रदायिक नहीं थे तब आपके रेडियों, आपके अखबार, आपके दूरदर्शन ने उसे साम्प्रदायिक झगड़ा बनाकर क्यों बताया। उस पुलिस और जनता के झगड़े को साम्प्रदायिक झगड़ा क्यों बताया? अगर यह आपके आदेश के बगैर हुआ तो क्या आप उन अखबारों और आल इंडिया रेडियों के अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही करेंगे? अगर किसी अधिकारी या मिनिस्टर ने दबाव दिया था तो क्या आप उस मिनिस्टर के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे?

वीकर सेक्संस के लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी पुलिस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी मजबूर कर रही है।

आपने कहा कि हम इस कानून के अंतर्गत चोर बाजारियों, जमाखोरों को पकड़ना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों चीनी, चावल आदि चीजों की कीमतें सरकार ने बढ़ा दीं तो क्या आप अपनी सरकार के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे? आपकी सरकार देश के अंदर कीमतें बढ़ाने में जमा खोरों और पूंजीपतियों का सहयोग कर रही है, उसके खिलाफ कार्यवाही

क्यों नहीं की गई? पूंजीपतियों और जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने का क्या आपके पास कोई कानून नहीं था?

इस आर्डिनेन्स के आने के बाद आपने गुजरात के दो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार किया, श्री जगदंबा एवं श्री हरीश कुमार को आपने गिरफ्तार कर लिया जबकि इस हाउस में आप कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की इसमें इजाजत नहीं दी जाएगी तो जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया है क्या आप उनको गिरफतार करके जेल में भेजेंगे? आपको हमें यह गारंटी देनी पड़ेगी । दूसरे अभी हमारे संसद सदस्य श्री अरुण कुमार राय को और एक विधायक श्री शंकर चटर्जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, आप जेल क्यों नहीं भेजेंगे, जिन लोगों ने संविधान की कसम खाई है, चाहे इस हाउस में या किसी प्रदेश के हाउस में खाई है वे अंतुले साहब कसम खाकर सारे मुल्क में कह रहे हैं कि इस देश में प्रेसीडेंशल गवर्नमेन्ट होनी चाहिए। आपने श्री अंतुले के खिलाफ जो आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं और जिन्होंने वर्तमान संविधान की कसम खाई है कोई वार्निंग दी है? वह संविधान के खिलाफ भाषण दे रहे हैं. . .

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): Has he given notice that he will speak against Mr. Antulay? There is no charge against him. He is naming a person who is not present here.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): This is against the rule of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. He is mentioning his name as a side remark.

श्री जगपाल सिंह: श्रीमति इन्दिरा गांधी की सरकार को किसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लोग इसके खिलाफ उठाएंगे, वर्किंग क्लास इस देश की आवाज अपनी बहबूदी के लिए, अपनी मजबूरियों को देखते हुए बोनस के लिए जरूर आवाज उठाएगी, आपके इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएगी और अगर आप यह समझते हैं कि वह दब जाएगी तो यह आपकी गलतफहमी है। पार्लियामेन्ट में हम इसका विरोध कर रहे हैं, बाहर वर्किंग क्लास, पैजेंटरी, विद्यार्थी वर्ग, इंटेलीजेंशिया, खेत और खलिहान में काम करने वाले लोग हम से भी ज्यादा जम कर इसका विरोध करेंगे । अगर जबर्दस्ती आपने देश के लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की तो 1977 के चुनाव के बाद जो आपकी पार्टी और सरकार की हालत हुई थी उससे भी बुरी हालत अब आपकी होगी, उससे भी ज्यादा बुरे दिन आपको देखने पड़ेंगे । आपको भूलना नहीं चाहिए कि देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में रोलेट एक्ट का तथा दूसरे ऐसे काले कानूनों का सख्त विरोध किया था । आप हर रोज इस तरह के काले कानून इस हाउस में लाते हैं। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, डा. अम्बेदकर तथा दूसरे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं ने आजादी की लड़ाई के जमाने में पूरी दुनिया के साथ वादा किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर काले कानून लोगों के अधिकारों को छीनने की गर्ज से बनाए जाएंगे तो हिन्दुस्तान के लोग उसका विरोध करेंगे। आजादी की लड़ाई में और आजादी मिल जाने के बाद भी हम ने उनका विरोध किया है । यह चीज हमें विरासत में मिली है । इस विरासत के सहारे हिन्दुस्तान का एक एक नागरिक इस काले कानून का विरोध करेगा । अगर आपने एमरजेंसी की तरह राजनीतिक लोगों को इस के तहत गिरफतार कर जेलों में भेजा तो मत भूलना कि जेलों के अन्दर भी अब आपके मीसा, डी.आई.आर., एमरजेंसी जैसे कानूनों की जो स्थिति रही, वैसी स्थिति नहीं रहेगी । पहले आपने एक आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। अब लोग देख चुके हैं। उन्नीस महीने जेलों में रहने की लोगों को आदत पड़ चुकी है। लोगों को सहन करने की आदत पड़ चुकी है। तब वे नहीं बोले थे। वे एमरजेन्सी के दिन देख चुके हैं। तब आपने हमारे मां बाप को भी हम लोगों से जेलों में मिलने नहीं दिया । मां बहन भी हमें मिलने के लिए गईं तो पुलिस ने उनको भी रोक दिया था। अब देश की माताएं और बहनें, बूढ़ी औरतें और बच्चे मैदान में उतर आए हैं और

[श्री जगपाल सिंह]

वे आपके इस काले कानून का विरोध करेंगे। जब ऐसा इसका व्यापक विरोध होता है तो आपको चाहिए कि आप ऐसा कानून मत पास करिये।

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्वी दिल्ली): हमारे माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा ही बहुत जोरदार बोलते हैं। लेकिन भाषा के जोर में सत्यता का अंश कम होता है। अभी उन्होंने कहा कि जनता पार्टी एक बिल लाई थी, इस हाउस में बिल को वापिस ले लिया गया था । हम जानते हैं कि कोई भी सरकार बिल लाती है तो पहले उसको कैबिनेट के पास भेजा जाता है, वहां से एप्रुवल हो जाती है तो उसको लाया जाता है और उस पर चर्चा करवाई जाती है। यह सही है कि जनता पार्टी के जमाने में इस में चूंकि बहुत सारे भाई शामिल थे इस वास्ते दो राय थीं। एक राय यह थी कि मीसा को लाना चाहिए और इसको ले आए। मैं वाजपेयी जी का बड़ा आदर करता हूं। मैं उन से बहुत ही विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार उस बिल को लाई तो आप भी सरकार में थे, कैबिनेट में थे और जब वह मामला वहां आया तो क्या आपने उससे डिसएग्री किया था और आपने कैबिनेट छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था और इस तरह से उस बिल का विरोध किया था? हम ने कहीं अखबारों में नहीं देखा कि जो बिल जनता पार्टी की सरकार इस सदन में लाई थी, मोरारजी देसाई की सरकार लाई थी, जिस के आप मंत्री थे...(व्यवधान) अब जरा दिल थाम कर बैठिये, हमारी बारी आई है।

मैं श्री वाजपेयी को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो आनरेबल मेम्बर सरकार का मिनिस्टर होने के नाते प्रिंसिपल के तौर पर उस बिल को सपोर्ट कर चुका हो, आज वह उसी बिल को करीब करीब उसी बिल को इतने जोर से विरोध कर रहा है।

प्रैस से माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, भी प्रेम करते हैं और वे भी इनसे प्रेम करते हैं। वह प्रैस के बड़े प्रशंसक हैं ।

एक माननीय सदस्य: क्या आप उसके खिलाफ हैं?

श्री एच. के. एल. भगत: मैं भी उसके हक में हूं । मैं उसके खिलाफ नहीं हूं ।

मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी । सारे प्रेस ने लिखा कि मध्य प्रदेश में श्री वाजपेयी की पार्टी की सरकार मिनी-मीसा लाई है। क्या श्री वाजपेयी ने अपनी सरकार को मना किया? नहीं । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि वह बड़े नेता तो हैं, लेकिन बड़े नेता अच्छे अभिनेता भी होते हैं । ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं ।

श्री वाजपेयी ने कहा कि जब देश में सब कुछ ठीक है, तो इस बिल को क्यों लाया जा रहा है । हमने कब कहा कि सब कुछ ठीक है? जब उनकी कृपा है, तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? अगर उनका बस चले, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा । हमने काफी कुछ ठीक किया है, लेकिन बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, और उसके लिए इस कानून की जरूरत है । हम महसूस करते हैं कि इसकी जरूरत है ।

15.26 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair.*]

श्री वाजपेयी ने कहा कि हम तो दूध से डरे हुए हैं, हम तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं । हम समझते हैं कि छाछ बड़ी अच्छी चीज है, आज देश को छाछ की जरूरत है । हम बड़ी खुशी से छाछ पी रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सरकार फिर इमर्जेन्सी की तरफ जा रही है, जनता नाराज हो रही है, जनता के गुस्से का तूफान खड़ा हो रहा है, जनता आपके खिलाफ हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें फायदा है । जनता हमसे नराज होगी, हमारी सरकार हट जायेगी, पता नहीं इस बार वे उन्नीस महीने जेल में रहेंगे या नहीं, लेकिन पच्चीस महीने के लिए उन्हें हुकूमत करने का मौका मिल जायेगा। इस लिए वे क्यों घबरा रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: तो आप यह हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं!

श्री एच. के. एल. भगत: हम कोई भी काम अपने फायदे या आपके फायदे के लिए नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं बल्कि देश और देश की जनता के फायदे के

लिए कर रहे हैं, फिर चाहे हम जीतें या हारें।

मेरे भाई, श्री वाजपेयी, ने कहा कि इन्डिविजुअल फ्रीडम पर हमला हो रहा है। उन्होंने दिल्ली का चर्चा किया और वह इस तरह बोले मानों दिल्ली में पुलिस कमिश्नर ने मालूम नहीं कितने आदमी पकड़ लिये हैं, और गलत पकड़ लिये हैं।

यहां पर एक एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है। वाजपेयी साहब को फैक्ट्स मालूम हैं। मैं उनको इग्नोरेन्ट नहीं मानता। लेकिन मैं उनके लिए "होशियार" शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वह बड़े काबिल हैं, एक आल-इण्डिया पार्टी के प्रेजीडेन्ट हैं। दिल्ली में जितने आदमी पकड़े गये हैं— शायद तीस चालिस पकड़े गये हैं—, उनके केसिज एडवाइजरी बोर्ड के पास गये, जिसके चेयरमैन हाई कोर्ट के जज हैं। जितने केसिल रीव्यु हुए हैं, उनमें से शायद एक दो केसिज में उसने डिसएग्री किया, लेकिन बाकी सब में डिटेंशन आर्डर कनफर्म कर दिये। लेकिन श्री वाजपेयी ने इस तरह कहा कि जैसे पुलिस कमिश्नर के पास और कोई काम नहीं है, और साइक्लोस्टाइल्ड लैटर्ज के जरिये दिल्ली में हजारों आदमी अंधाधुंध पकड़े जा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैंने यह नहीं कहा।

श्री एच. के. एल. भगत: उन्होंने यह इम्प्रेशन दिया। उन्होंने इतना एग्जेजेरेट कर के बताया वाक्यात को डिसटार्ट कर के बड़े ड्रामेटिक ढंग से पेश किया। मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि श्री वाजपेयी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने दिल्ली के बारे में इस तरह की बातें कहीं।

लिबर्टी की बात कही गई है। किस की लिबर्टी?—चोर की आजादी, बदमाश की आजादी? अगर आज इस देश की जनता की सुरक्षा और सिक्युरिटी को खतरा है, तो वह चोरों से खतरा है, चेन स्नैचर्ज से खतरा है, हरिजनों को जिन्दा जलाने वालों से खतरा है, रेपिस्ट्स से खतरा है, ट्रेन और बसें लूटने वालों से खतरा है, कम्युनल दंगे करने और करवाने वालों से खतरा है, कास्ट के झगड़े करने वालों से खतरा है, देश को सैपरेटिज्म की आग में झोंकने वालों से खतरा है। उन लोगों की आजादी को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाये, देश और देश की जनता के लिए उतना ही अच्छा है।

ब्लैक मार्केटियर्ज वगैरह के बारे में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ला आया था, वह लोक दल की सरकार ही लाई थी और इस लिए उसूलन उसने उसको सपोर्ट किया था। जहां तक मीसा या प्रिवेंटिव डिटेंशन का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि आर्टिकल 22 के मुताबिक वह वैधानिक है। जिस मीसा की चर्चा आप कर रहे हैं कि एटार्नी जनरल ने यह कहा था, उस के बारे में बहुत जोरों से आप ने आग्यु किया था सुप्रिम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रिम कोर्ट ने उस मीसा को कांस्टीच्यूशनल डिक्लेयर किया था। मैं चाफ जस्टिस को कोई विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। चीफ जस्टिस ने कुछ अपने आबर्जेवेशस किए थे जिस पर आप की सरकार उस समय नाराज हुई थी। लेकिन फिर भी सुप्रिम कोर्ट ने उस मीसा को कांस्टीच्यूशनल डिक्लेयर किया था तो यह कहना कि विधान के खिलाफ है, कोई मानी नहीं रखता। वाजपेयी जी ने सरदार पटेल का नाम लिया। खैर, चांस की बात है, वह भी सरदार थे और आज के हमारे गृह मंत्री जी भी सरदार हैं। सरदार पटेल 1950 में यह ले आए। वाजपेयी जी यह कह रहे हैं कि उस वक्त की परिस्थितियों में वह लाए थे। अगर 1950 की परिस्थिति से 1980 की परिस्थिति आज ज्यादा अच्छी है तो इस से बड़ा सर्टिफिकेट हमें वाजपेयी जी से और क्या मिल सकता है? आप कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि डबल स्टैंडर्ड तो आप कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बहुत खराब हालत है देश की, देश आग में जल रहा है, ला एण्ड आर्डर की हालत खराब हो गई है, चोरों का, गुण्डों का राज हो गया, चारों तरफ तबाही मच रही है, देश बिल्कुल खत्म होने पर आ गया है, यह आप खुद कह रहे हैं, एग्जाबरेटेड ग्रिम, ग्लूमी, डार्केस्ट पिक्चर लाइफ दि प्रोफेशनल प्रोफेट्स आफ डूम आप पेंट करते हैं और फिर कहते हैं कि देश में क्या है, सामान्य कानून चलाइए। क्या आप मानते हैं कि चीफ जस्टिस ने कुछ अपने आबर्जेवेशस ले आए। वाजपेयी जी यह कह रहे कि उस

[श्री एच. के. एल. भगत]

स्थिति अच्छी है? आप खुद कहते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। आप के मुकाबिले में आज हमारी स्थिति सुधरी है लेकिन फिर भी जो स्थिति है उस से निपटने के लिए इस की आवश्यकता है।

एक बात यह कही गई कि एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट को इस कानून में पकड़ लिया। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि किसी मेम्बर आफ पार्लियामेंट को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन पकड़ा जाय या किसी सिटिजेन को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन पकड़ा जाय। कानून की नजर में मेम्बर आफ पार्लियामेंट और साधारण सिटिजेन दोनों को बराबर होना चाहिए। किसी को भी बिना जस्टिफिकेशन के नहीं पकड़ना चाहिए। अगर उन को पकड़ा और उस का जस्टिफिकेशन नहीं था तो उस को हटा लिया, वापस ले लिया। यह करना चाहिए था। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि इस प्रकार का कोई काम हो और सरकार को इस बारे में पूरी एहतियात रखनी चाहिए कि मैं चोरों डाकुओं के गिरोह कि मैं पोलिटिकल वर्कर हूं अगर कल को मैं ऐसा काम करूं, फर्ज कीजिए कि कम्यूनल दंगे करूं या भड़काऊं या फर्ज कीजिए कि मैं चोरों-डाकुओं के गिरोह का सरगना बन जाऊं या और कोई इस तरह का काम करूं तो महज इसलिए कि मैं पोलिटिकल लीडर हूं या पार्लियामेंट का मेम्बर हूं इसलिए हमारा लिहाज किया जाय? मैं तो कहूंगा कि ज्ञानी जैल सिंह जी को चाहिए कि सब से पहले मुझे जेल में डाल दें। अगर वह नहीं डालते हैं तो वह अपनी ड्यूटी से शर्क कर रहे होंगे।

हमारे सी.पी.एम. के लोग बहुत इन्क्लाबी आदमी हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट किया जिस में जूडिशियल रिमांड को छः महीने के लिए बढ़ा देने की बात थी। चार्ज शीट दिए बिना 300 दिन तक रखने की मांग कर रहे थे, आखिर में जा कर 6 महीने के लिए वह हुआ। इस के मानी यह हो गए कि बिना चार्जशीट फाइल किए हुए एक आदमी को छः महीने तक वहां रख सकते हैं। क्या इन्डाइरेक्टली यह प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो गया? यह त्रिपुरा की सरकार ने किया है। और फिर मेरे भाई यह कहते हैं कि सामान्य कानून में आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? सामान्य कानून में प्रिवेंशन के लिए क्या है? पहली बात तो यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन तो मानते हैं कि होना चाहिए या इन का कहना यह है कि आग लगने दें फिर देखेंगे? इन की दिलचस्पी तो इस में है कि आग लगती जाय। हमारी दिलचस्पी यह है कि आग लगने न पाए। उन की दिलचस्पी है कि आग लग जाय, उन का वेस्टेड पोलिटिकल इन्टेरेस्ट बन जाय, ला एंड आर्डर खराब हो जायें, इस में इनको फायदा है जिस में यह कह सकें कि देख लिया इंदिरा गांधी का राज? यह देख लिया? इन को यह सूट करता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। . .

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर): भगत जी, आप की इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। . . . (**व्यवधान**) . . . मैं संसदीय प्रथा जानता हूं इसलिए मैं भगत जी से इजाजत ले कर इंटरवीन कर रहा हूं।

श्री एच के एल भगत: पूछिए।

प्रो. मधु दण्डवते: आप ने कहा कि चाहे वह संसद् सदस्य हो या अन्य कोई हो, उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर समाज-विरोधी कृत्य कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि आपात काल की स्थिति में कानून में संशोधन करके आप लोगों ने राज्य सभा में यह पास नहीं किया था कि इस देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ किसी प्रकार की क्रिमिनल कार्यवाही किसी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए? यह आप ने तय किया था या नहीं?

श्री एच. के. एल. भगत: आनरेबल मेम्बर, दंडवते जी ने यह प्रश्न उठाया, हमने किया था और हम समझते हैं हमने ठीक किया था, उस बहस को मैं यहां पर नहीं लाना चाहता। कुछ लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे-आर्डर के बाद भी कहते थे कि हम जबर्दस्ती प्रधान मंत्री को हटावेंगे। हम लोग प्राइम मिनिस्टर और कुछ ऐसे दूसरे आफिसर्स के लिए सोचते थे कि उन को इस तरह के झगड़ों में न डाला जाए। लेकिन इमर्जेन्सी में जो कुछ भी हमने किया, मैं प्रो. दंडवते जी से कहना चाहता हूं बाअदब, कि उसके बाद चुनाव हुए जिसमें हम हारे लेकिन उसके बाद गए एलेक्शन्स हुए और यह बात जो आनरेबल मेम्बर कह रहे हैं या जो भाषण वाजपेयी जी

ने दिया है उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से वाजपेयी जी ने देश भर में और दिल्ली में भाषण दिया और खुशकिस्मती से चन्द हजार वोटों से बचकर निकल गए। इसलिए यह इश्यूज जो हैं कि इमर्जेन्सी में हमने क्या किया

They have been shattered by the Supreme Court of the people of India.

यह हुआ या नहीं? अभी आन्रेबल मेम्बर ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं जैसे जनता हमारे खिलाफ हो रही है। वाजपेयी जी ने यह कहा कि हमने मिसमैनेजमेन्ट कर दिया, हमारी असफलतायें हो गईं जिनको छिपाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स हम ले आए। इसको सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।

If my hon. friends in the opposition wish to remain in a fool's paradise, I do not mind, I would welcome it.

लोग खिलाफ हो रहे हैं, हम असफल हो गए, हम नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स के जरिए जिन्दा रहना चाहते हैं लेकिन भाई, आप इन उप चुनावों में क्यों हार गए? कह दीजिए कि रिगिंग होगई, बैलट बदल दिए गए। (व्यवधान) ठीक है, 42 परसेन्ट वोट ही मिले, हमारी मेजारिटी तो है लेकिन आपको सारे देश में कितने परसेन्ट वोट मिले? 3 परसेंट। हम 43 वाले हैं लेकिन आप 3 परसेन्ट वाले हो। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हमको लोगों ने चुना, इस भरोसे के साथ, कि हम देश में ला एंड आर्डर को ठीक करेंगे। लोगों ने हमको इस भरोसे के साथ चुना कि देश में जो कयास जनता पार्टी या लोकदल पार्टी ले आई थी उसको हम दूर करेंगे। जो अंधेरा जनता पार्टी के राज में छा गया था That was the darkest era in the history of India.

लोगों ने इसी आशा के साथ हमको चुना है कि ला एण्ड आर्डर को हम ठीक करेंगे। जैसा कि ज्ञानी जी ने कहा इसमें हमको कुछ अनपापुलर भी होना पड़ेगा लेकिन इस समय देश के लोग चाहते हैं कि ला एंड आर्डर ठीक किया जाए। लोग चाहते हैं कि गुण्डों को, चोरों को, रेपिस्ट को, बदमाशों को, कम्युनलिट्स को, देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वालों को, देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वालों को डंडे और ताकत से ठीक किया जाए। (व्यवधान)

आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। मैं जानना चाहता हूं आज सरकार को कौन सी पावर है? प्रिवेंशन आफ ब्रीच आफ पीस में आप किसी को पकड़ लीजिए तो पकड़ने से पहले ही शाम तक उसकी जमानत हो जायेगी। वाजपेयी जी बतायें कि अगर कोई गुण्डा किसी महिला को दस बार सताए, उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश करे, उसका रिकार्ड भी हो, उसको आप पकड़ेंगे 107 में तो शाम तक वह जमानत पर बाहर आ जायेगा और अगली बार फिर वही काम करेगा। प्रोवीजन आफ प्रीवेंशन आफ क्राइम्स किसी जमाने में बनाए गए थे, जो आज ग्रॉसली इनएडीक्वेट हैं, ग्रासली इन्इफेक्टिव हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस बिल की जरूरत है।

मैं एक बात और कह कर खत्म करूंगा। इसके अन्दर सेफगार्ड मौजूद हैं। पावर तो नीचे के आफिसर को है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको देख सकती है, समझ सकती है, गलत कर सकती है और उसके बाद सैन्ट्रल गवर्नमेंट देख सकती है, फिर एडवाइजरी बोर्ड मौजूद है। जो टाइम फैक्टर्स रखे गए हैं, जो इनबिल्ट रखे गए हैं, सेफगार्ड्स रखे गए हैं, उसके अन्दर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इन्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी पूरा इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेरी राय में इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी फीलिंग है कि गुण्डों के अन्दर एक डर पैदा हुआ है। दिल्ली में भी इसके आने के बाद हालात सुधरे हैं। अगर श्री जैल सिंह जितने तगड़े हैं, उतने तगड़े बनकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि इनका मुंह बन्द हो जायेगा और देश का लॉ-एंड-आर्डर और सुधर जाएगा।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I rise to oppose this Bill, every work and every syllable of the Bill and the vile spirit and object behind this monstrosity, which is now masquerading as the National Security Bill.

I have heard many of the speeches of Shri Bhagat. But I am sorry to say to-day's speech is not as one in those days. When one has a lead case.... (*Interruptions*).

[Shri Somnath Chatterjee]

I quite sympathise with him. (*Interruptions*)

The right hon. Member of Secunderabad, kindly hold patience.

Mr. Bhagat referred to Tripura, as if the Left Government in Tripura has passed Preventive Detention Law. What shall we say—such an ignoramus! What has only been provided is that the total period of remand for filing the charge sheet shall be extended and, but which is not provided in Preventive Detention Law, every fortnight the accused has to be produced before the.....

SHRI H. K. L. BHAGAT: His trial is delayed for months together. You were delaying that trial. You answer this.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Who is opposing? The people who do not believe in trial, they are complaining of delay in trial!

SHRI H. K. L. BHAGAT: You have no answer, Mr. Chatterjee.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: your hon. Home Minister would have been very happy to apply Preventive Detention Law in Tripura. But our left Government there and wherever there is left and democratic Government, this black law and draconian law will never be utilised. That is our commitment.

(*Interruptions*)

SHRI H. K. L. BHAGAT: The largest number of people were killed during riots in Tripura.

(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Shri A. K. Roy, the hon. Member of the House was arrested and detained. This is one of the glaring examples of the proper utilisation of the so-called security law.

Mr. Bhagat said, well if a Member of Parliament indulges in anti-social activities....

SHRI H. K. L. BHAGAT: I have not said about Shri A. K. Roy.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Was he not released by the public declaration of the Chief Minister of Bihar that he was illegally arrested? You have made a law and given power to these ordinary bureaucrats who can utilise that for any purpose other than the bona fide purpose. Why did your Chief Minister say that he was wrongly arrested? You put a person behind the jail to say, well our Chief Minister is so kind that he has released him! Mr. Bhagat, I thought, he would have been a Minister. Sorry, he has missed the bus.

(*Interruptions*)

We were used to seeing him on the Treasury Benches. He said that persons looting trains, chain snatchers, communalists, persons indulging in communal riots, etc. etc. should be arrested, under preventive detention law.

There is an order of detention against one Mr. Arshad Parvez, a member of the Democratic Youth Federation of India, a member of the Communist Party (Marxist) under this black ordinance. As he has not been found, the local police have declared him an absconder and attached the belongings of his father, of his mother, of his sister and of his brothers. What have they siezed? Ordinarily daily articles of use, utensils, ladies' dresses, his mother's and his sister's dresses, mattresses, bed sheets, etc. have been attached by your benevolent Government. The Supreme Court had to intervene yesterday and stayed this infamous order.

AN HON. MEMBER: Where is he?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You have your intiligence, you have your police. Why don't you utilise your police? Mr. Bhagat, is he guilty of snatching chains from women or has he taken any part in communal

riots? Let him have courage to say that.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I do not know.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He is a member of the Communist Party (Marxist). Therefore, against a young man who is an active membe of a political party, an order is issued. If your inefficient police cannot find him out, this is the type of activity that has been taken recourse to.

Today, you are supporting such a black law. I consider, to day is another dark day for the freedom loving people of this country. It is a matter of lasting shame that this august House which should be the bastion of personal liberty, civil liberty and democratic rights of the people of this country is involving itself today in the process of denuding the people of their minimal rights in this country. What we find today is that we have been asked to legitimise an aberration and an outrage, an evil law and a savage law.

Mr. Atal Bihari Vajpayee has spoken about the Ordinance. The country is talking about the Ordinance. For 20 goondas of Delhi, your Government had to pass an ordinance. Is this the justification for taking recourse to extra-ordinary process of legislation in this country? The Home Minister owes a duty to the people of this country and to this House to tell us what was the immediate necessity for promulgating such an Ordinance, a draconian law like this. This House is being circumvented to pass a draconian law. The President, I do not know where he was at that time, had to sign on a dotted line. The people of this country are losing liberty and the House is not being taken into confidence. There is no discussion, there is no clarification. The people's voice is not heard. You take away the people's liberty saying. "Some chain snatchers have to be dealt with properly". This is the justification which is given by a senior member of the ruling party.

This Ordinance making process has been taken recourse to because they want to come before this Parliament with a *fait accompli* and they want this Parliament to retrospectively approve of this draconian law so that there is not a proper discussion. The mischief has already set in. That is why we have said many times in the House that so far as the ruling party is concerned, the rule of law is an anathema to them. They cannot govern with ordinary normal laws of the country although they are making the ordinary normal laws of the country more and more strict an example of which we saw only yesterday.

We have seen that they want more and more powers in their hands and we have seen how comprehensively they use these powers against democratic movements and political opponents in this country. As I have said earlier, I have no reason to change my view that authoritarianism and insatiable hunger for power are synonymous with the present ruling party. There is no change. They cannot remain without such a draconian power. In 1971, with the slogan of '*Garibi Hatavo*', this Party came back to power, and day in and day out, Mr. Bhagat—he was a Member until he became a Minister—every day reminded us of the 'massive mandate'. That 'massive mandate' was followed by massive erosion of people's rights in this country. That is the experience. The first thing that was removed in this country after the 1971 elections was not poverty but personal freedom for which no sanction of the people had been taken. Is not that the experience of this country? And now this is what we have. I do not wish to go into what Sardar Patel said. But, after the 1950 P.D. Act, who was one of the first victims? Comrade A. K. Gopalan, who had fought all his life for the downtrodden and the kisans was hauled up under the P.D. Act, and the Supreme Court said, "We are sorry, we cannot help you". He could not be released because the court's powers are very very limited, as the

[Shri Somnath Chatterjee]

Rt. Hon. Member from Secunderabad will support me.

Now, what is the slogan? It is no longer '*Garibi Hatovo*'. That has been exposed, that has been exploded. Now it is 'Government that works'....

AN HON. MEMBER: That is why Ordinance are coming up.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They are working overnight to produce Ordinances!

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I charge this Government that this Government is working in a very calculated manner to instil, create, a fear psychosis in this country. That is the object. It is a calculated attempt to terrorise the people in this country. That is why, Executive Magistrates have been given the power of passing preventive orders under the Criminal Procedure Code. Now, this is a very convenient law—'National Security'. MISA is the most hated and dreaded word in this country. That is why, they have changed it from MISA to NSO. People were putting all sorts of interpretations to the letter 'I'. That is why, they do not like my Law with the name or letter "I" in it. (*Interruptions*).

Now, what has been the functioning of this Government? Outrages on women, Harijans and Adivasis; blinding of people, runaway inflation, communal riots, mal-functioning in every sphere. That is the wonderful record of working of this Government so far. Now, how to suppress all forms of dissent against misfeasance and nonfeasance on the part of this Government? Bring this law, so that you can put the people in bondage. What they want is not free people. They want slaves, they want dum, deaf and mute spectators in this country; nobody should raise his voice of protest.

This Government, with all the support that it claims—even yesterday we heard the word 'massive mandate'; I believe, the Rt. Hon. Member from Secunderbad used it,—with the massive mandate, what problems have they solved during the last ten or eleven months? Which single problem have they solved in this country? I asked once, I believe in this House, as to how long did they require to get over the effects of the 'Janata misrule' as they say and when would they start functioning of their own. If they take five years to clean the Augean Stable, as they say, when will they start functioning positively? The only function, I find, is that the Railway Minister has been de-railed, one Chief Minister has been de-railed. This is their functioning! Nobody knows who is the Minister today and who will be the Minister tomorrow.

The position today is that a Government which cannot provide even one square meal a day to the teeming millions of this country, not two meals, even one square meal a day, a Government which cannot protect its own people from savage attacks of communal forces, Police and rich landed gentry, which cannot provide jobs to the able-bodied youth of this country has got no right, no authority to take away the right of protest from the people of this country. Sir, have we not seen those days and can we forget how a similar law had been used in the past? The misfortune of this country, the tragedy of this country is that in the Constitution of this country, the organic law which contains a Chapter on Fundamental Right also contains inbuilt provisions for authoritarianism that is, in Article 22(4). This country except for two years when they did not have the majority in 1969-70 and when the Janata Government under pressure of popular will, had to repeal the MISA, had the Preventive Detention law for almost 30 years. Now, which problem have yet solved? Have you been able to bring down the price line? You have other forms of preventive detention. Have you stoped the smuggling in this country? Have you stopped the blackmarketing in this country? Now, who encourages smuggling in this country? We do not want smuggling in this country. We say you provide for deterrant punishment under the

ordinary law of this country. Let them have a chance because your whole history is a misuse of preventive draconian law. That is our charge. Sir, we have heard Mr. Bhagat speaking on Tripura. Does he remember that when there was no-confidence motion given, when one of their Members was the Chief Minister of Tripura, what happened? All the Opposition Members were detained under MISA (*Interruptions*) They brought the Opposition MLA's from Agartala to Vellore including some of their own Congress people about whose loyalty—at leat to one individual—they were not very sure. Now, that was the 'proper' exercise of authority! Mr. Chandrasekhar, Mr. Krishna Kant, Mr. Ram Dhan, all were detained. They were all Members of their party. Therefore I am requesting my young friends who have come into this House not to glot over it. Let them not thump the table so that that can reach the ears of one individual in this country whom you had equated with this country. (*Interruptions*). I do not claim to be a profet. (*Interruptions*) But, Sir, what I want to say is that such a fate may befall my young friends in this country. (*Interruptions*). If you have a little patience to go through the records of this House, you will learn. (*Interruptions*) Sir, we cannot forget those days of Emergency, agonising days of Emergency. Students, teachers, peasants, Members of Parliament, lawyers workers of trade unions, all were singled out and even before Emergency in the Chittaranjan Locomotive Works, trade union movement was suppressed by MISA. I have got a whole list of it. Mr. Brahmananda Reddy, today at least I do not know what will happen to you. I hope you are saved from this law which you applied or you were forced to apply in those days. I say that if even there is a proper and truthful history written of MISA, it will be a harrowing account of grotesque exhibition of political brigandage just to prop up one individual. No doubt about it. Sir, in the Fifth Lok Sabha, I had the opportunity of moving one of the Statutory Resolutions to disapprove the amendment to MISA. Many hon. Members took part; one very eminent, able, Member of the then ruling party, which unfortunately to-day is again the ruling party said that a seventy year old man suffering from paralysis was also detained under MISA and it had required the intervention of that great hon. Member of Parliament to write to the authorities to get him released. Who was that hon. Member who had to intervene? To-day he is the Information Minister, Shri Vasant Sathe, whose only duty is to misinform the people nowadays. (*Interruptions*) There is a reference in the statement of objects and reasons to various things. Sir, You are showing the signs of a little impatience. I do not want to touch them. But, what I may submit very respectfully is this. The secessionist activities, communal riots etc. which have been mentioned cannot be solved by taking away the peopele's rights, their liberties or by making them slaves of mute spectators or deaf and dumb. They cannot be solved by this. You have to solve the problem by active and willing cooperation and by the involvement of the people of this country and not by the monopolists, their friends, the big landed gentry but by the involvement of the students, teachers, the trade union people, peasants and their cooperation. It is only by their involvement in the national mainstream the problems can be solved. Now, if you take away the minimal personal liberties, the civic liberties and the rights to participate in these matters, then, Sir, you can never solve them. We can tackle the problem by not restricting the people's rights but only by enlarging the democratic rights. This is what we demand.

16 hrs.

That is why we oppose this Bill. The position to-day is this. We have seen that the three State Governments in this country have openly said that they will never utilise this law. I would like to know, is the law and order situation in any of the States where the Congress (I) is ruling now

[Shri Somnath Chatterjee]

better? Do they think that by restorting to N.S.C. or whatever it is, they will solve the problem? They have their preventive laws in those States. It is our glory that we never took away the people's liberty without giving an opportunity to them for their defence, we never had recourse to these preventive laws. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS (SHRI C. P. N. SINGH): I am sorry for this interruption. But may I sak the hon. Member whether, in the last Lok Sabha, when Mrs. Gandhi was remover from this House, he oposed it?

SEVERAL HON. MEMBERS: We opposed that.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The point is this. Now he is a defenceless Minister. He should make a little study in Science and Technology at least. You have my sympatheis. One last line....

MR. CHAIRMAN: He is not defenceless but he has a scientific defence.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: We have seen during emergency that *habeas corpus* had been taken away. There was no methods even of approaching the Court to get a release order. (*Interruptions*) Preventive Detention is an old story. We have seen how although the Constitution has been amended—everyday, we are told that Parliament's supremacy is there and people's views must be respected. The Sixth Lok Sabha had passed an amendment to the Constitution providing that the advisory board should be constituted with persons who are judges.

Now, I am accusing Mr. Vajpayee as to why he did not bring that amendment into force before? But, Sir, the people's views were expressed through the amendment, just because the technical notification has not been issued. You are ignoring the people's will which was expressed through that amendment. Then why are you now changing the composition of the advisory board? This is an example. What happened? Mr. Mohsin, the great champion of MISA to-day is sitting on the ninth row. So, I warn them. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Therefore, I oppose this Bill. This is an anti-people hill. This is an anti-working-people bill. This is a bill to perpetuate the hegemony of draconian administration, of an anti-people administration, and the people in this country will fight tooth and nail. Whatever may be your temporary majority of 42 per cent or 43 per cent, this will bring discredit to you, and you will learn the lesson.

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर): माननीय सभापति महोदय, पिछले दस महीने से हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य जिस प्रकार इस देश की परिस्थितियों का यहां जिक्र कर रहे हैं विषेषत: बारह बजे के एक दम बाद और जिस तरह से हंगामा करते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ प्रतिविम्ब है उस सब का जो बाहर हो रहा है, असाधारण परिस्थिति में हंगामा करने की नौबत पैदे होती है उससे तो यही सिद्ध होता है कि इस देश में असाधारण परिस्थिति है और इससे निपटने के लिए उनको इस विधेयक का स्वागत ही करना चाहिये था और कहना चाहिये था कि इस असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए असाधारण विधेयक जरूरी है। अखबार जब हम पढ़ते हैं रोजाना तो उस में हंगामों की खबरें पढ़ते हैं और उस से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अखबार छापते हैं कि सदन के अन्दर सिवाय हंगामों के कुछ और नहीं होता है। पूरे देश के अन्दर इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में इस सर्वोच्च संस्था की छवि को इस तरह से धूमिल किया जाता है? क्या सब से बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के अस्तित्व को ही खतरा पैदा करने की कोशिश यह नहीं है? किस वजह से यह होता है? यह उनके आचरण से ही होता है जो कहते हैं कि असाधारण परिस्थिति है। मैं तो अपने मन से जो इसका स्वागत करता हूं वह करता हूं लेकिन इनका जो आचरण है रोजाना शून्य पहर में और जिस तरह से ये बताते हैं कि असाधारण परिस्थितियां

देश में विद्यमान हैं और उनकी बात पर विश्वास करते हुए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को बधाई दी जाना चाहिये कि वह इस असाधारण विधेयक को लाए हैं। मैं चाहता हूं कि जिस असाधारण परिस्थिति का वर्णन रोजाना हमारी माननीय विपक्ष के सदस्य करते हैं उस असाधारण परिस्थिति के साथ अब सख्ती से निपटा जाना चाहिये।

रोजाना यहां कहा जाता है कि जो कुछ देश के अन्दर होता है सब से बड़ा प्रतिबिम्ब यह संस्था है । यह सरकार जनादेश से बनी हुई सरकार है। यह जिस विधेयक को लाई है उसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक सामंजस्य पैदा करना है, सामाजिक तनाव कम करना है, उग्रतावादी क्रिया कलापों को खत्म करना है, औद्योगिक शान्ति पैदा करना है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य देश में साम्प्रदायिक सदभाव नहीं चाहते हैं, औद्योगिक शान्ति नहीं चाहते हैं? कौन सा उद्देश्य ऐसा है जिससे वे सहमत नहीं हैं? इसका हमें भी पता चल जाना चाहिये और जनता को भी। मेरी आशा है, मेरी अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह विधेयक लाया गया है उनको हासिल करने में, उनको पूरा करने में हमारी सरकार निश्चित रुप से कामयाब होगी।

एक तसवीर यहां बनाई जा रही है और बाहर भी और इस में मिली भगत भी है, यह कहा जा रहा है कि इस सरकार के जरिये तथा इस विधेयक के जरिये---

एक माननीय सदस्यः भगत जी भी शामिल हैं?

श्री आरिफ मोहम्मद खांः मुश्किल यह है कि अपनी आंखों से हमारे ये दोस्त नहीं देखते हैं, ऊपर से इन्होंने चश्मा लगा रखा है रंगीन पुराना और उसी से ये देखने की कोशिश करते हैं।

अटल जी हमारे बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं। मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक सदस्य से कहा कि मैं आपकी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखता हूं। यही तो सारी परेशानी है। इसी लिए तो उन्हें इस देश में हर चीज पीली नजर आती है, जैसे कि जांडिस का मर्ज हो गया हो। अगर वह किसी दूसरे की आंखों से देखने की भी चेष्टा करें, तो शायद वह पीला रंग दिखाई नहीं देगा और शायद तीनों रंग–हरा भी, सफेद भी, और केसरी भी–साफ साफ नजर आने लगेंगे। मुसाबत यह है कि **जांडिस आई** का कोई इलाज नहीं है मैं सिर्फ निवेदन और प्रार्थना कर सकता हूं कि वह थोड़ा दूसरे की आंखों से भी देखने की कोशिश करें।

यह तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस विधेयक के द्वारा इस सरकार ने देश में आजादी, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रतायें, सब कुछ कर दिया है। किन नागरिकों की स्वतंत्रता?–जो इन्हें शासन करने लायक नहीं समझती हैं, जो इनपर विश्वास नहीं करते हैं, जो इनकी बात को नहीं मानते हैं। लोक दल के सदस्य ने कहा कि श्रीमती गांधी ने कहा है कि अब हजार साल तक इमर्जेन्सी नहीं आयेगी, अब मीसा का इस्तेमाल नहीं होगा। शायद उनके ख्याल में इस बिल के जरिये इमर्जेन्सी लाई जा रही है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह इमर्जेन्सी नहीं आई है, यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक है।

कहा जा रहा है कि इस बिल के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो गई, आजादी खत्म हो गई । मैं बाज वक्त सोचता हूं कि कैसी स्वतंत्रता-अर्थयुक्त स्वतंत्रता, मीनिंग-फुल लिबर्टी या मीनिंगलेस लिबर्टी । मुझे आजादी है कि मैं चांद तक जा सकता हूं। लेकिन जब तक मेरे पास चांद तक जाने के लिए साधन नहीं होंगे, तब तक मेरी यह आजादी बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वह कौन सी आजादी है, जिसमें इस देश में रहने वाले लोगों की बहुत भारी संख्या–बहुसंख्या नहीं, बहुत भारी संख्या–अपने अधिकारों से परिचित भी नहीं है, अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में रैली भी नहीं कर सकती है? मैं यह बात इस लिए कह रहा हूं कि यहां पर देश की आम जनता और साधरण नागरिकों की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, वे वास्तव में देश की जनता की तरफ से नहीं कही जाती हैं, बल्कि उस वर्ग की तरफ से कही जाती

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, जो स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता को अपने अधिकारों में शामिल किये हुए है।

लेकिन सरकार का यह फर्ज है कि वह उन लोगों की स्वतंत्रता की ओर भी ध्यान दे, जो अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए और लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। उनके लिए सरकार को राज्य-शक्ति का उपयोग करना चाहिए, ताकि उन पिछड़े, कमजोर और गरीब लोगों को उनको अधिकार मिल सकें। आज वक्त आदमी को सोचना चाहिए कि उसके कार्य-कलाप क्या है। आजादी की बात कौन करता है? यहां से पचास मील की दूरी पर एक चुनाव क्षेत्र बागपत है। उस क्षेत्र में पिछले 33 सालों में—1980 के विधान सभा को छोड़ कर—कभी किसी हरिजन को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। जो लोग 33 साल तक अपने चुनाव-क्षेत्र में हरिजनों को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखते हैं, वे नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं।

मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण सुना है। जिस दिन यह विधेयक पुरस्थापित किया गया, उस दिन मैंने श्री निरेन घोष का भाषण भी सुना। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी सभ्य देश में--अमरीका, फ्रांस और बर्तानियां में--ऐसा कानून नहीं है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या रूस और चीन असभ्य देश हैं। यह मेरा आर्ग्यूमेन्ट नहीं है, यह तो उनके लिए कह रहा हूं। उनकी सारी समस्या यह है कि वे चाहते हैं समाजवादी अर्थतंत्र और राजनीती वे पूंजीवाद करना चाहते हैं। सोशलिस्ट एकोनामी, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर आप बिल्ड अप करना चाहते हैं बाइ कैपिटलिस्टिक मीन्स, यह आपकी सारी समस्या है। खुदा के वास्ते मेहरबानी कीजिए और आप कम-से-कम अपने साथ ईमानदारी बरतिए। जिस दिन इस विधेयक की मुखालिफत करने का सवाल आएगा उस दिन तो आप को अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस सभ्य देश नजर आएंगे और जिस दिन किसी दूसरे विषय पर बोलेंगे उस दिन कहेंगे कि ये दुनिया के साम्राज्यवादी और शोषण करने वाले देश हैं। आज आप को ये सभ्य देश नजर आते हैं। तो अपने साथ कम-से-कम ईमानदारी बरतिए। हां, अटल की मुखालिफत करें यह मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप मुखालिफत करें, आप समाजवादी अर्थतंत्र की रचना करना चाहते हैं पूंजीवादी तरीकों से. . . .

(व्यवधान): . . . तो पूंजीवादी तरीकों पर आप मत जाइए।

मैं साफ तौर से कह रहा हूं, एक बहुत छोटी सी घटना हुई है, लेकिन जरा सोचिए, हमारे राष्ट्रीय गौरव को धक्का पहुंचता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक छोटी सी कार रैली इस देश के अन्दर हुई। विदेशों से लोग आए थे। पूरी दुनिया के देशों में इस तरह की कार रैलियों का आयोजन होता है। लेकिन हमारे एक बहुत लोक तंत्र के और स्वतन्त्रता के प्रहरी, इस सदन के माननीय सदस्य और कितने और एडजेक्टिव मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं वह कम है, उन्होंने आन्दोलन किया कि पेट्रोल की कीमत महंगी है, कार रैली नहीं होनी चाहिए। यह आप को अधिकार है कहने का। कल आप कहेंगे कि हमारे यहां गरीबी बहुत है तो जितने तबले और सारंगियां हैं उन्हें तोड़ दिया जाय, परसों कहेंगे कि खेती कम है तो जितने यहां लान और फुलवाड़ियां लगी हुई हैं उन को उखाड़ दिया जाय। आप को अधिकार है कहने का, कहिए। आप को अधिकार है आन्दोलन करने का। लेकिन आप को यह अधिकार नहीं है कि विदेशी मेहमानों की कारों पर आप पथराव कराएं।

श्रीमन्, यह स्वतंत्रता है? इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए लड़ाई है कि विदेशी मेहमान देश में आएं तो उन की कारों पर पथराव किया जाय, पूरी दुनिया के अन्दर हमारी बदनामी हो? स्वतंत्रता इस बात की कि आसाम के अन्दर साधारण नागरिक अपना रोजमर्रा का जीवन-यापन न कर सके? स्वतंत्रता इस बात की कि आसाम के अन्दर एक साल तक वहां का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया जाय? स्वतंत्रता इस बात की कि मुरादाबाद में काम करने वाले कारीगर, वहां के बिजनेसमैन अपना बिजनेस न कर सकें और चन्द लोग उस की आजादी के

साथ खिलवाड़ करें? यह कौन सी स्वतंत्रता है? जैसा मैं ने पहले कहा हमें अर्थयुक्त स्वतंत्रता चाहिए, हमें अर्थ-हीन स्वतंत्रता नहीं चाहिए। जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे विपक्ष के सदस्य कह रहे हैं ऐसी स्वतन्त्रता जंगल के अन्दर होती है जहां शेर को हिरण खा जाता है। पूरी आजादी है शेर को कि वह हिरण को खा जाय। भेड़िये को आजादी है कि बकरी को खा जाय। तालाब के अन्दर बड़ी मछली को आजादी है कि छोटी मछली को खा जाय। एक शब्द है कि मत्स्य न्याया मुद्भवति। मछलियों का समाज ऐसा होता है जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाय। तो हमें मछलियों का समाज नहीं चाहिए, इंसानों का समाज चाहिए जहां छोटे आदमियों के अधिकारों की रक्षा हो सके, जहां बड़ा आदमी या संगठित व्यक्ति छोटे व्यक्तियों का शोषण न कर सके, जहां शोषण करने वाले गरीब मजदूर और किसानों का शोषण न कर सकें और इस के लिए जिम्मेदार यह सरकार है, इस सरकार को रोकना पड़ेगा कि शोषण न हो सके। इस के लिए इस प्रकार का विधेयक आवश्यक है। आप ने देर की है ऐसा विधेयक लाने में हमें कहते हैं कि आप इस पर शर्म महसूस कीजिए कहते हैं कि कहीं यह विधेयक हमारे ऊपर ही यह इस्तेमाल न हो जाय। तो आप हमें मत डराइए। कहानी याद आती है उस व्यक्ति की कि एक जगह चोरी हो गई, सभा बैठी, एक चालाक आदमी ने कहा कि जिस ने चोरी की होगी उस की दाढ़ी में तिनका है, तो खुद ब खुद उस का हाथ दाढ़ी पर चला गया जो चोर था। आप क्यों डरते हैं? यह आपके लिए नहीं है। यह तो उनके लिए है जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं। फिर आप क्यों डरते हैं? (व्यवधान) आपके सिर में तो है बाल, सिर में तिनका न हो, यह देख लीजिए। तो यह विधेयक उनके लिए है जो समाज में अशांति फैलायें, जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करे, जो सामाजिक तनाव पैदा करें, जो औद्योगिक उत्पादन गिराने की कोशिश करे। आप बिल्कुल मत डरिए। जब तक कोई भी व्यक्ति इस देश में वैधानिक कार्यकलाप करता है, उसके लिए इस विधेयक से डरने का कोई खतरा मौजूद नहीं है। आप अपनी शंकाओं को बिलकुल खत्म कर दीजिए।

मान्यवर, मैं प्रारम्भ में माननीय अटल जी को देख रहा था। वे बोलते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जब जरा जोर से बोलते हैं। मैं उनको कहूंगा कुछ नहीं, मैं उनकी शान में बेअदबी नहीं कर सकता, वे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन और भी बहुत से ऐसे जीव हैं, जो सुबह का प्रकाश होते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और रात का अंधेरा आया तो आंखें खुल गईं और सुबह का प्रकाश आया तो आंखें बंद हो गईं। . . . (व्यवधान) . . .

श्रीमान्, मैंने शुरू में कहा कि जो परिस्थितियां हैं, मैं पिछले तीन सालों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कि जिस प्रकार से सरकार चली, उनका बहुमत था, बीच में चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी, नई सरकार आई भी नहीं होती, लेकिन मुझे याद आती है, जब मैं अलीगढ़ में स्टुडेंट यूनियन का प्रेजीडेन्ट था तो मैं एक आन्दोलन में जेल चला गया। वहां पर जेल में हमारा एक नम्बरदार, चम्बल का डाकू था, जो रोजाना कसरत करता था, जिस्म बहुत अच्छा था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि बाबा आप रोजाना बतलाते हो कि चम्बल नदी का एक ही बार में दो चक्कर लगा लेता हूं, आप रोजाना वर्जिश भी करते हैं, सेहत भी अच्छी है, फिर आप पकड़े कैसे गए? वह बोला बाबू, ई पुलिस का आदमी हमें का पकरी, यह तो सरकार का इकबाल होता है और डाकू पकड़ा जाता है। तो यह सरकार का इकबाल होता है कि अपराधी डरता है। (व्यवधान)

तो मैं यह कह रहा था कि ऐसे सारे कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे जिनसे सरकार का इकबाल कायम हो सके क्योंकि उस इकबाल को पिछले तीन सालों में खराब करने की पूरी चेष्टा की गई। अपराधी डरता नहीं था, कमजोर आदमी का शोषण होता था (व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं।

SHRI SATISH AGARWAL: Let him speak for some time more, because his wife is listening and is in a very good mood.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: I am very thankful to the hon. Member that he at least recognises my wife. In your wisdom, you may agree to his proposal.

मैं आखिर में यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, संविधान में बदलाव भी लाए गए हैं, उस सरकार द्वारा भी लाए गए जिसमें अटलजी मंत्री थे। जैसा कि वे खुद कहते हैं कि यह टेम्पोरेरी प्राविजन था तो इस टेम्पोरेरी प्राविजन को वे हटा सकते थे लेकिन नहीं हटाया। इसका मतलब है कि इसकी जरूरत है ऐसी शक्तियों से निपटने के लिए जो इस देश में बिखराव लाना चाहती हैं, जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। आप यह समझ लें:

ज़ख्म का चारा नहीं नौके नश्तर के बगैर
रुक नहीं सकता सगे दीवाना पत्थर के बगैर।

इस पत्थर का आप इस्तेमाल कीजिए और जो इस देश में साम्प्रदायिक तनाव, सामाजिक तनाव, औद्योगिक अशांति फैलाना चाहते हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनसे इस देश को बचाइये और इस विधेयक का सही इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo Indian): Mr. Chairman, Sir, as a practising lawyer, I have had the opportunity of defending and fortunately, successfully, more people, detained under MISA than perhaps most lawyers in the country. So, I can speak with some authority of the working of Preventive Detention, also of its infirmities and as a lawyer, I have been nurtured in the concept that people who commit offences should usually be tried and not preventively detained. Even the Shah Commission, although I had defended Mrs. Gandhi there, and the Chairman saw fit to summon me for contempt on one occasion because he did not like my views, even then, in their report referred to my criticism, not criticism but warning, with regard to the dangers of the application of MISA. I had pointed out that there are always dangers of abuse, dangers of people being falsely arrested, either from motives of corruption, motives of vindictiveness, motives of venality.

But let me try and put the records straight. Mr. Chatterjee spoke as a lawyer but I did not expect him to see the other side of the medal. He should know that preventive detention is nothing new. Neither new in free or post-independence India. We had the Defence of India Rules before independence. We had the Defence of India Act, from 1950 to 1969. But, in between we had the Constitution and the founding fathers, among whom I had the privilege to be counted, had deliberately put in Article 22. Article 22 has deliberately sanctified preventive detention in times of peace. That is the authority for preventive detention in times of peace. We discussed it. Some of us expressed certain doubts. Ultimately it was passed because there was an awareness of the inherent dangers in a subcontinental India. Our mosaic, bewildering mosaic is that there are inherent infirmities, regional, linguistic; religious ethnic. And as I have pointed out on more than one occasion, to be honest, we must realise that the history of India has been a history of tribalisms, not a history of unity. And, always below the surface, there is this regional chauvinism, secession. And then, the partition holocaust inevitably intensified communal strife. Then we have Defence of India Act, 1950 to 1969. I think my friend Shri Gopalan was arrested under the Act when it first came into being, that Defence of India Act. Then, we had MISA.

MR. CHAIRMAN: He was released.

SHRI FRANK ANTHONY: He was released also. I will tell you, if you get in the future, I will get you released also. I got some people only the other day. There was MISA in 1971 and COFEPOSA

in 1974. There was the Janata exercise. In his rather usually tortuous manner, Mr. Morarji Desai, through the back-door, tried to weave preventive detention permanently into our legal fabric. He tried to put it in the Criminal Procedure Code. As you know, Mr. Chairman, preventive detention is not a permanent measure. It can come and go. But, Mr. Morarji Desai said that it should be woven permanently into the Criminal Procedure Code. Some people from his party fortunately opposed him. Then the Janata party had mini-MISAs in Bihar and MP; and Mr. Charan Singh, as the then interim Prime Minister, brought in this Bill with regard to black-marketing and maintenance of essential supplies; and unfortunately,—it shows the mindless confrontation—when an identical bill was on the anvil here, his deputy not only opposed it, but the whole party walked out in protest against what was merely a replica of what that party sought to put on the statute book. But to-day, as I see it, fortunately the context is such, I see preventive detention as a necessary evil. Let us have no illusions about it. It is an evil, but it is a lesser evil, and a necessary evil. COFEPOSA is there. It was there during the Janata regime. I wrote to the then Law Minister. I asked: why do you want draconian amendments like section 5A? In all the other preventive detentions, if there is one bad ground, the person is released. That was the law. That is still the law. But under COFEPOSA, under Section 5A when there are 10 grounds and 9 of them are baseless and one good ground is there the detention is upheld. I lost a case recently. Because of that, I asked the then Minister: "Why do you have it? Why don't you have it on a par with other preventive detention measures?" They were not bothered so much for their obeisance to democratic freedom.

Then we have this Act recently passed, against black-marketeers and smugglers; and now we have this National Security Bill. We have several measures of preventive detention in the various States. And personally, I feel it is good to uniformise preventive detention; and this Bill will do that. But as I see it, there are much greater dangers to-day, than economic offenders, much greater dangers because they are just below the surface, dangers to the survival of the nation, to its very unity. We have regional chauvinists. We have secessionists. Take Assam. I spoke twice and I spoke strongly with regard to what has happened in Assam. And I criticized the Government for not applying preventive detention there long ago, and fully. I pointed a finger at the Home Minister and asked: "What are you doing? These people have declared war on the country." I said it was no good shirking our responsibility. I Pointed out that 12 per cent of our total production of petroleum products has been permanently blockaded. This is rank insurgency. You have done nothing about it. You have not applied it. My criticism is this: even with regard to the Essential Commodities Act, and prevention of black-marketing—I was on that first—I said he was not directly responsible for it. But what is Minister V. C. Shukla doing about it?

I remember my friend Atal Bihari barracking me when I said: "You lock up a thousand of Atal Bihari's constituents in Delhi; and prices of many of the essential commodities which have rocketed, will fall overnight." I said that (*Interruptions*). That is my complaint.

Then we have this intensification. We have intensification of communal riots. Let us be quite frank about it. Obviously, there are people at work. They are *agents provocateur*. How do you deal with people who are deliberately instigating communal strife?

With all due respect, I would say that we are among the most indisciplined people in the world. We find that it was endemic. In the Janata regime, indiscipline became pandemic;

[Shri Frank Anthony]

and it escalated into violence and sabotage. Take gherao. My friends would not agree with me as probably they are the protagonists of *gherao*. To-day it is an every-day weapon—weapon from top to bottom. It is indulged in with impunity, indulged in by the Assam students, indulged in against legislators. Workers everywhere *gherao* their employers every day; and they resort to violence. But what is *gherao*? Why don't we ask them to explain? It is plain criminality. It is wrongful detention carried to extremes. I would like to see some special amendment brought in somewhere, to make *gherao* punishable—with summary trial, punishable with a deterrent sentence. You see everyday what is happening? That is why my friend, not here, Nawab Ali Yawar Jung came to see me after he had been beaten to bits. I was shocked. His skull had been fractured; his hand had been permanently disformed. I said, "What happened to the student criminal?" He said, "No action had been taken." I said, after that no self-respecting person in this country would offer himself for a Vice-Chancellorship. That is what has been happening. How many self-respecting people are prepared to expose themselves to *gherao* and violence in the different universities? Today, unfortunately, you have certain elements bend on creating this disruption, sabotaging law and order, sabotaging the economy. Some of my friends would like it, frustrated political elements, reduced to derisive rumps. Their only stock in trade is to fish in every troubled pool—that is what is happening everywhere—jump in, compound the thing secretly, they welcome violence and sabotage; and they never condemn it. Again, I am giving you an example of Assam. Here, friends, over and over again, endorse what has happened there and what continues. They say, it is non-violent; it is orchestrated with terror. What Ashok Sen said the other day, countless number of murders, tens and thousands of people including Bengalis being driven out, this is non-violence. They endorse their action as patriotic. Is it patriotic to declare war against the country? Is it patriotic for government servants to join this sort of movement? That is happening. I said, it is supported by the derisive rumps. I have met a number of people from Assam. I have met a number of our senior officers. All these agitators are being subsidised. They are on the pig's back. The minorities are agitated, the overwhelming majority are looking to Mrs. Indira Gandhi for deliverance. My grievance is that you are not doing enough to deliver the majority. A whole lot of minorities have come to see me; they are half of the population looking for deliverance. Then there are the poor people; then there are the tea garden labourers; there are at least 70—80 per cent of the people who are looking for deliverance. I blame you for having inflated these people as if they represent the people of Assam. Over and over again, you call them knowing that they will not move a hair-breadth for their original demand. Why do you overinflate these young students?

Then there was a farmers' agitation. There was some origin. What was the origin and motivation? There may be some bonafide origin and motivation. Then it degenerated into violence and sabotage. Has any single party in the opposition condemend the violence and sabotage associated with farmers' agitation? Probably many of them have welcomed it. (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Mr. Morarji Desai condemned it. (*Interruptions*).

SHRI FRANK ANTHONY: Nobody condemned it. That is what I am saying. Today, unfortunately, we have a spiralling inflation. Inflation will always create disturbed conditions which can be taken advantage of by people who want to sabotage the law and order, by people who want to sabotage the economy further. We have this main impetus. I was looking

into the figures the other day. In about 1975-76 our bill for the petroleum products was about Rs. 900 crores. Today, it is likely to reach Rs. 6000 crores, 600 per cent increase and that is the main impetus to inflation today; it has communicated itself to all projects.

As I said there are people, incorrigible manipulators sending up prices, the traders and so on; they always make money somehow or the other. My wife tells me that the price of almost everything has gone up. I do not know what you are doing. At least, during the emergency, they had put price tags. Today, nobody exhibits price tags. Shops cheek by jowl are charging what they like and they tell the people, "today we are charging Rs. 5; either you take it or you leave it, but if you come tomorrow, we will charge Rs. 7." They are doing this with impunity. Why don't you lock them up? Most of them are the constituents of Mr. Atal Bihari Vajpayee. (*Interruptions*). Why don't you lock them up? You would not do any thing. (*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Mr Chairman, I must protest. The majority of my voters are the Central Government employees.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You are in the company of Mr. Bhagat.

PROF. MADHU DANDAVATE: Fortunately, he has no constituency.

SHRI FRANK ANTHONY: I am the only person like Mrs. Gandhi to have an all-India constituency. My constituency is all-India, with the largest constituency. It is all-India, and I am uniquely representative of my community. I am the second person with an all-India constituency.

SHRI SATISH AGARWAL: Your voter is only one person, one individual. If Shri Morarji Desai would have nominated you, you would have been on our side.

SHRI FRANK ANTHONY: Mr. Morarji Desai would not have nominated me because he never forgot the thrashing I gave him when he tried to destroy English. I took him to court. He nominated my deputy. He was too afraid to nominate me. I would have been a thorn in his flesh!

Mr. Chatterjee said, why don't you try these people who are black-marketing under the Essential Commodities Act. Let me tell Mr. Chatterjee, I probably do more cases under the Essential Commodities Act. You can't make it deterrent; nobody bothers. I will give you a little history. When I heard about these who were arrested. . .

AN HON. MEMBER: Mr. Chatterjee gets them released in ten hours.

SHRI FRANK ANTHONY: He does not; I might get them released. There was this case here; I got shocked. Some people were arrested for allegedly hoarding 50 lakhs worth of sugar. I said they should be hanged. They came to me in my professional capacity and said, it was not sugar; it was khandsari. I argued their case and I got them released. What I am trying to say is, the law is there. It is the final safeguard. The Essential Commodities Act is not deterrent. What these people are terrified of, especially Mr. Atal Bihari's constituents. They do not wish to go to jail. Under the Essential Commodities Act, lawyers get them bail and lawyers see to it that the trial is carried on for five or six years. They come to the Supreme Court and in many cases. I just get them off. You must send them to jail at least for six months. Then you will see a magical change in the whole price pattern in this country.

Here again, let me tell Mr. Chatterjee, who are the people who are the loudest in their professions about solicitude, solicitude for what? Civil liberties and democracy? Who are they? You do not have to scratch them? They have proved themselves;

[Shri Frank Anthony]

they are the totalist, if I may use the word, of totalitarians, both of the left and of the right. These are the people who have an ersatz solicitude for democracy and civil liberties, people to whose ideology democracy is a bourgeois aberration and to the totalitarians of the right, democracy is a dirty word.

AN HON. MEMBER: You only betray your lack of knowledge, nothing more.

SHRI FRANK ANTHONY: Let me illustrate it with the latest example of an erstwhile leader. I do not like to refer to him, because I think he should be put in some—if he were a younger man and more responsible, I would have said, lock him up— but the only place where he might be locked up is some kind of asylum for people with meek minds. What did he try to do? He chose deliberately, he came here on the eve of the visit of the President of USSR and deliberately what did he say? It has been stigmatised correctly probably, as a deliberate fabrication. He said that he as Prime Minister was asked to attack Pakistan. Can you imagine a person fulfilling in a greater degree a deliberate shameful role of a **.... (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You should strike this off the record. (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: It is against the rules.

PROF. MADHU DANDAVATE: Is** parliamentary?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He must be asked to withdraw it.

(*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: What is your ruling?

MR. CHAIRMAN: I shall look into those things, the words that have been used.

SHRI FRANK ANTHONY: If anybody in the position of responsibility says things like this, his place will be preventive detention. I have said that. Because what are the effects? The first thing is, that you try to impair our relations with a nation which helped us decisively in the 1971 war. In the next place, it is a deliberate instigation.... (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He cannot go on like this. I can also make a number of charges like that. Mr. Morarji Desai is not a Member of this House.... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: These words will be looked into.

PROF. MADHU DANDAVATE: If I describe anyone a** would you allow that to go on record?

MR. CHAIRMAN: It will be looked into. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): I suppose, you have not given your ruling on this.

MR. CHAIRMAN: No. (*Interruptions*).

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Mr. Chairman, Sir, I would like to invite your attention to the precedent. The other day, when I made a reference to Mr. Antulay, the Chief Minister, immediately those remarks were expunged though they were true. I do not know whether Mr. Breznev spoke to him confidentially about the statement he is making. (*Interruptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE: I want to know whether the word** has been expunged or not?

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: These words will be looked into.

PROF. MADHU DANDAVATE: Where is the question of looking into?

(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: ....What Mr. Patrick Moynihan has said about Mrs. Gandhi that should also go on record.

(Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN: ** word will remain, must remain. He is worse than a ** *(Interuptions)*.

PROF. MADHU DANDAVATE: If he says ** will you allow that to go on record?

MR. CHAIRMAN: I have said that I will look into it.

PROF. MADHU DANDAVATE: Where is the question of looking into it?

SHRI C. M. STEPHEN: Morarji Desai betrayed the country. He is worse than a ** Morarji Bhai betrayed the country.... *(Interruptions)*.

PROF. MADHU DANDAVATE: Here is a Cabinet Minister who has the temerity to say that he is worse than a ** *(Interuptions)*.

SHRI C. M. STEPHEN: He is. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: I will see the context in which the word has been used.

PROF. MADHU DANDAVATE: There is no question. We demand that the word ** should be expunged. *(Interruptions)*.

SHRI C. M. STEPHEN: These people are speaking mud about Mrs. Gandhi.... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: May I know whether at any time the word has been used in our Parliamentary proceedings?

SHRI C. M. STEPHEN: I will show you.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, we do not want any Minister's ruling; we want your ruling. **is the word which has been used.

MR. CHAIRMAN: I am asking Mr. Stephen whether at any time it has been used. If the word is unparliamentary, it has to go.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, you asked me whether the word** is unparliamentary. There are two questions involved here. One is whether the word** can be used and, secondly, whether the word ** can be used with reference to a person. As to the question whether the word ** can be used, I remember the word having been used in Parliament. I can look up and place before you precedents. But his objection is not against the use of this word; his objection is against the use of the word with reference to Shri Morarji Desai. This is the objection. If this is the objection, there is nothing particularly sanctifying about Shri Morarji Desai. If the word ** is permissible with reference to another person, certainly it is permissible about Shri Morarji Desai also.

MR. CHAIRMAN: There is a precedent here to show that the word is unparliamentary. There are precedents here that the word with reference to Members is unparliamentary. But it has to be looked into in what context it has been used.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, let us be clear about it. If the word '**' is not considered unparliamentary and there have been precedents, in that case, for those who have opposed the freedom struggle we shall have the freedom to say, name

---

**Expunged as ordered by the Chair.

[Prof. Madhu Dandavate]

them as ** of the country.... (*interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: If your reference is to the comrades in the context of the 1942 struggle, I have nothing to say.... (*interruptions*)

SHRI FRANK ANTHONY: Mr. Chairman, I am merely repeating what was reported. It has never been denied. Anybody in a responsible position who has said this would be an unqualified ** for two reasons..... (*interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, again that term has been used.

MR. CHAIRMAN: I did not allow the use of that word.

PROF. MADHU DANDAVATE: But he is using that.... (*Interruptions*)

SHRI FRANK ANTHONY: ...look at the context. Don't we know today what the country is facing? We are facing increasingly this Axis, the American-Chinese-Pakistan Axis.... (*interruptions*) What is it but a deliberate invitation to Pakistan to attack us, which is frantically arming itself with one billion dollars aid from China and another billions dollars and planes from America, to invoke what is said here and to say "I had been attacked and India was the aggressor" while mounting an aggression.

I am not in favour of an Emergency. I said that there was no need for an Emergency—there was already an Emergency there—but there was the need for MISA. I said 'MISA' and MISA was no different from any other Detention Act. You may put all kinds of labels on it. (*Interruptions*). MISA was no different from any other Detention law. My friend, Mr. Chatterjee, gave it an unfortunate twist. He suggested that because of MISA detenues could not go to the court. In 14 cases of MISA that I handled all during the Emergency the detenus were released. Because, what was the law? Nine High Courts had said if there was even one bad ground, that detention was bad. A person may be properly detained, 9 grounds were absolutely determinative, but because one ground being weak, he was released. (*Interruptions*). Then you see what will happen. Today there is this campaign of untruth. They say, no grounds need be given. They have to give the grounds. Article 22 says, 'you give the grounds unless it is in public interest.' You cannot invoke public interest lightly. There was a case in Delhi High Court where they invoked public interest. I argued the case. (*Interruptions*). I know the truth hurts them and it hurt them. (*Interruptions*). There is a complete scheme of safeguards under the present Bill. All the grounds have to be given within 5 or 10 or 12 days. There is an Advisory Board; in Delhi, three High Court Judges are there. The Chairman is appointed by the Chief Justice. Above all, there is judicial scrutiny. This is the canard that is perpetrated.

(*Interruptions*).

16.59 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

You criticise Mrs. Gandhi. I used to criticise her very often. I will give you one instance. (*Interruptions*). When I got up, Mrs. Gandhi said something. I said, 'Madam you are a lady. What you are saying is not correct.' She said, 'I resent your saying; not that I am not a lady, but I resent Mr. Anthony looking down his nose at me'. In so many cases I criticised Jawaharlal very strongly, I criticised Mrs. Gandhi too. (*Interruptions*). I want to say this, and I will finish. As I said before the Shah Commission—I am not pleading—there was no need for an Emergency then, and there is no need now. During the first year, as I said before the Shah Commission, the best thing that happened to this country was the Emergency. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker, let me tell you something about what happened. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Freedom of expression—at least it must be there in Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI FRANK ANTHONY: What happened in the first year of the emergency? In an undisciplined country discipline was brought back, production was given a fillip, professional labour agitators were contained, inflation was contained.

Why did Mrs. Gandhi lose? I know that she lost because of the aberrations in the second year, mostly because of compulsory sterilisation, but she has been swept back to power because the people realised... (*Interruptions*)

I have never been a Congressman, though I have been offered all kinds of things. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): You are a super Congressman.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you should conclude now. (*Interruptions*)

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is concluding.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Not about that, but about the proceedings of the House. I am referring to rule 349(2). I am sorry that this has become the practice here for all Members to interrupt other hon. Members while they are speaking. My submission is that it has to be settled once and for all. There are responsible and senior Members in the opposition. They have also started interrupting. The problem has to be settled once and for all. Otherwise, we cannot stick to the time schedule here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions are from both sides. I would appeal to the common sense of every hon. Member that this rule be respected.

He must conclude now. He does not speak very often, therefore, he is given some time, but he must conclude now.

SHRI FRANK ANTHONY: I am on my last point.

I said that obviously knowing what happened during the emergency, knowing the good that was done in the first year of the emergency, knowing the aberrations in the second year of the emergency, Mrs. Gandhi was swept back to power because the people realised that she is the only real national leader.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Can he not express his views? Why are you so much afraid? You must be tolerant. You can appreciate your leader and you want that from the other side they should not interrupt him. Similarly, he is appreciating his leader.

SHRI FRANK ANTHONY: I have never been a Congressman.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I agree with you that he should be allowed to speak to justify his nomination. He should speak more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't make any personal remarks. That is not correct.

SHRI FRANK ANTHONY: These young novices, what do they know?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't take it seriously.

SHRI FRANK ANTHONY: She was swept back to power, why? As I told Mrs. Gandhi the other day: "The people brought you back, madam, because they appreciate that you are one of the few national leaders, rather the only national leader, and that you

[Shri Frank Anthony]

can be firm, if necessary, ruthless." My complaint against you is that you are not sufficiently firm to-day. I was one of the framers of the Constitution. We gave you preventive detention powers to preventively detain the regional chauvanists, secessionists, professional labour agitators. That is the only way to save the unity of the country and indeed the democratic processes of the country.

AN HON. MEMBER: At what time are you going to adjourn the House to-day?

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will be adjourned to-day at ten minutes to six.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): I heard the eloquence of Shri Vajpayee and also some other Members. I would just like to quote what the ex-Prime Minister Shri Morarji Desai said:

> "My experience of public life and administration has convinced me of the need to have some provision for preventive detention.
>
> There were times when preventive detention had to be resorted to protect the right for peaceful life of many.
>
> There arise occasions in the life of the society when the violent frenzy of the few endangers the right to a peaceful life of the many. I do not think you would want violent elements to hold the society to ransom.
>
> To insist that with-out the actual commission of offences by such elements, they should not be detained would result in a mockery of the rights of the many to a peaceful life. It is not a question of action being taken on suspicion but it is a preventive action sought to be taken to forestall commission of violent Acts."

This is how one of our ex-Prime Minister wanted to have preventive detention. He also argued in favour of preventive detention law.

The next Prime Minister who was there for some time—Shri Charan Singh also strongly supported the preventive detention laws when he was also the Home Minister and also the Prime Minister.

If we go through the history of our country, we shall have to judge what is the context and relevance and what are the developments in society which needs such an action. Ours is a country where there are contradictions in society.

There are different forces. We want to solve these contradictions.

This was a feudal society. We want to have industries and then build a Socialist State, from the base of capitalist development.

I am reminded of an American poet 'Rober Frost'. He said. "Two ways lead into a forest. I travel the road which is less travelled by and that makes all the difference". This country, India, under the able leadership has chosen to have the path of democracy and socialism. There are countries in the world where these social contradictions have been solved in the different ways. In a vast country like ours, there are methods, ways and means to solve contradictions. You can have a look on the theory and utterances of Mao Tse Tung. What has been done in the Soviet Union? If you want to go ahead, there are different ways and means to do so and to solve these contradictions. From a given society and its ways if you want to go to another path, many vested interests try to block the way of your progress. Therefore, in such a society like ours in which from a feudal society, we have built up an industrial base and from an industrial base and capitalist base, we want to go ahead to a socialist society, this requires a tremendous amount of effort for solving the problems of social contradictions that we have to face today.

Today, what we find in India is only those conflicting elements. We

have to judge what are the events happening since January, 1980. The Government of India has given bonus; the Government of India is bringing forward a Bill for the peasantry, the Agricultural Workers Bill, which will provide for provident fund and pension to a vast number of agricultural workers, about 8—10 crores of agricultural workers. We have to consider what are the movements that are taking place in the country. Is there any movement for improving the living conditions of the vast number of agricultural workers? Is there any movement for improving the conditions of the working class? Today, whatever movement we find in this country, from January, 1980 onwards till today, it is a kind of counter movement, a counter revolutionary movement, not of the working class, not of the peasantry, not of the middle-class, nothing like that. It is a counter revolutionary movement which is taking place in the country which blocks the progress of social movement and development of the country in a socialist direction. Therefore, when we think of this Bill, like, the national Security Bill. we have to look into this aspect of the problem.

Here, I would also like to point out that whenever any political party which is most vocal against preventive detention, comes to power, they find the necessity of having a preventive detention law because they get confronted with problems. Therefore, we must also look into this aspect with a broader view.

We find, when the Janata Party Government had introduced the Criminal Procedure Code Amendment Act in December, 1977, this is what they have said:

> "Considering the complexity of the nature of problems, particularly. in respect of security, public order and prices faced by the country, it is the considered view of the Government that the administration would be greatly handicapped in dealing effectively with the same in the absence of power of preventive detention."

So, we must look into the objectives of the Bill. The objective of the Bill, as my hon. friend, Shri Arif Mohammad Khan. has pointed out, is only to see that those who are against the security of this country, those who do not want to help the prices to come down, those who do not want communal peace to remain in the country those who do not want India to remain integrated and united, those who want that there should be a kind of armament race in the country, all those people are prevented from doing such things.

I may point out that in Moradabad itself, there were 11,000 licensed revolvers found. In the entire country today it has been calculated that there are about 35 lakh licensed revolvers. There are various illegal arms manufacturing factories in at least 20 places in this country which have been located also. When there is such an atmosphere of violence in the country, can you go ahead with your progressive measures? Can you ahead with your socialist path when everywhere you find an atmosphere of violence? Therefore. to check the atmosphere of violence, the Government as to think on these lines. This is the line on which the Government is thinking to have the national Security law because the vast number of people desire peace and orderly life.

Even during the time of the Janta Party Government, all the Chief Ministers belonging to all major political parties, not one party, and all the regional parties, were invited to Delhi and they held a Conference in October, 1978 in which they all agreed to take preventive action to forestall any mischief. It is not a question of Congress (I) Chief Ministers. Even take the case of Tamil Nadu. The Chief Minister of Tamil Nadu wants to use the National Security Ordinance not for his own interest or for anybody's interest but to see that there is progress made in the State. It may be that while thinking about the question of all-India interest, in certain places, it may help some people....

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): He is using the National Security Ordinance against agriculturists who are not paying arrears. It is being used against them. It is very bad. The imprisonment is 3 to 5 years.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: I agree. Those things should be looked into. Even the Congressmen are suffering today in Tripura, in West Bengal and in Kerala. But we are thinking of overall national interest. But will happen if we do not deal properly with those forces who want to see that India should disintegrate.

It was asked whether, in the British democracy, there are such things or not. I was looking through the British Parliamentary practices. I found that there was a Criminal Justice Act of 1948; it remained in operation till 1967; it has been mentioned there that certain categories of habitual criminals could be detained, not for one year only but from five to fourteen years. But, of course, they have established their criminal record office. In India, perhaps, some States may have this. But at the Centre, we are not having this.

The major question is this. It has to be ensured that enough safeguards have been provided, so that this is not mis-utilised, because, we have our experience. It is not that our friends alone have the experience. Those who were in power for so many years have also got their experience.

The major problem in this country today is poverty and mal-administration. We want to have an efficient administration in this country. We want to see that all the problems that we are facing, whether in the north-east or in the west in Kashmir, or from wherever the problems are coming to us, are properly taken care of. One hon. Member has said that there has even been a violation of Indian air-space by our neighbours. It is also said that arms movements are taking place on our northern borders. All these things have to be taken into consideration. In that context, national security has to be maintained. For the security of the country, we want to have this law. For removing poverty from this country, for helping the weaker sections, for helping to see that all the communities live in peace. so that we can go ahead with our programmes for development, this law is needed.

I hope, the hon. Minister, who will reply to all these things, will also take into consideration these points, in view of our past experiences, whether there will be any chance for misuse of this law which is only meant to see that our security is maintained, our integrity is maintained and we have communal harmony and peace in the country, whether there is any chance for violation of this law for purposes which do not come under the objects of this Bill I support this Bill and I hope that all the safeguards which are in view will also be looked into.

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज): मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे मौका इनायत फरमाया, ताकि मैं नेशनल सिक्योरिटी बिल पर कुछ बहस कर सकूं। सब से पहली बात जो मैं आप के सामने रखूंगा कि हम सब का यह नस्जुलएेन है कि इस मुल्क की आजादी, इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क का बड़प्पन हम सब लोगों के लिये सर्वमान्य है, सब से ऊंचा है। इस के लिये मैं आप की याद-दिहानी हिन्दुस्तान की पिछली तवारीख की तरफ ले जाना चाहूंगा। आजादी को हासिल करने में हमारे रहनुमाओं ने जो कुर्बानी दी है, आप महात्मा गांधी को ले लीजिये, पं. जवाहर लाल नेहरू को ले लीजिये, मोलाना अब्बुल कलाम आजाद को सरदार बल्लभ भाई पटेल को लीजिये, दीगर जितने लोग हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत और कुर्बानी के बाद मुल्क की आजादी को हासिल किया। अब इस को बरकरार रखना हम सब लोगों का फर्ज ही नहीं, बल्कि फर्जे-अकलीन है।

जहां तक इस बिल के लाने का सवाल है, इस के पीछे एक मकसद है और वह मकसद यह है कि मुल्क में कुछ दसे अनासिर सिर

उठा रहे हैं, कुछ ऐसे अनासिर मुल्क की सालमियत को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, चाहे फिरकेवाराना फिसाद हों, चाहे जाति-पांति के नाम पर हो, चाहे बार्डर पर गड़-बड़ी करने के नाम पर हो—ये बातें मुल्क में हो रही हैं, हुई हैं, तभी सरकार ने यह मुनासिब समझा कि वक्त आ गया है कि ऐसा बिल लाया जाए क्योंकि हमारे मुल्क के अन्दर ऐसे सारे लोग हैं, ऐसे सारे तत्व हैं, ऐसे सारे अनासिर हैं और ऐसे एलीमेंट्स हैं, जो मुल्क की सालमियत को बरकरार नहीं रख सकते। मुल्क में खललान्दाजी हो, मुल्क का राज बचने का सवाल हो या राज को दूसरी जगह पहुंचाने का सवाल हो या कोई यह कहे कि हमारे मुल्क का यह पर्टीकुलर पोर्शन हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है या कोई यह बात कहे कि हमें कोई आदमी कह रहा था कि उस मुल्क पर हमला कर दो, ये सारी बातें ऐसी हैं, जिन से मुल्क की सालमियत को खतरा पहुंच सकता है। दूसरी बात यह है कि मुल्क में अमन बहाल हो क्योंकि अमन बहाल होने से मुल्क की तरक्की होगी, इस में कोई दो राय नहीं है और हम सारे लोग इस के लिए कमिटेड हों चाहे वे हमारी पार्टी के लोग हों और चाहे वे दूसरी पार्टियों के लोग हों। आज मुल्क में कुछ लोगों का नजरिया यह हो सकता है कि मुलक में खललान्दाजी, मुल्क में गड़बड़ी फैला कर मुल्क की शान्ति को खत्म किया जाए। यह उन लोगों का नजरिया हो सकता है, हम लोगों का यह नजरिया नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप ने देखा कि हमारे जो इन्डस्ट्रियल एरियाज हैं, उन के अन्दर कुछ ऐसे अनासिर घुस गये हैं, जिन का विश्वास, जिन का यकीन लाक-आउट्स में है। ऐसे लोग भी हैं जिन का विश्वास रेल का चक्का जाम करने में है और ऐसे लोग भी हैं जिन का विश्वास, जिन का यकीन इस बात में है कि हिन्दू-मुसलमानों का फसाद व झगड़ा हो। ऐसे लोग भी यहां मौजूद हैं जिन का यकीन है कि जात-पात के झगड़े बढ़े मुल्क में ताकि हमारा मुल्क तरक्की न कर सके, ताकि मुल्क की पैदावार न बढ़ सके और मुल्क की तरक्की न हो। हमारी पार्टी जो अपने मेनीफेस्टो के मुताबिक जीत कर आई है और उसने अपनी सरकार बनाई है, तो ऐसे लोग भी मुल्क में हैं जो हमारे मेनी-फेस्टो को फेल कराना चाहते हैं क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो इस का नतीजा यह होगा कि हम लोगों की नजर में अवाम की नजर में गिर जाएंगे और वे यह समझेंगे कि हम ने अपने मेनीफेस्टो को पूरा नहीं किया है। . . (व्यवधान) . . आप भी उस से बरी नहीं हैं।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी बहुत जोर-शोर से हमारे यहां बिहार सरकार ने कुछ पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया। कसूरवार हो और वह सस्पेंड हो जाए, तो उस में मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उन को अगर आप सुनेंगे और मैं अगर उन को बयान करूंगा, तो मेरा यह यकीन है कि आप की आंखों से भी आंसू गिरने लगेंगे। हमारे पास यह रिपोर्ट आ रही है और अवाम यह कहते हैं कि उस इलाके में डेढ़, दो वर्ष से लोग चैन की नींद नहीं सो रहे थे, लोग अपनी मां-बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते थे। मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। देवेन्द्र ठाकुर एक नौजवान एडवोकेट है। वह अपनी लियाकत से और काबलियत से पब्लिक प्रोसीक्यूटर भागलपुर में बन गया और केस प्रोसीक्यूट करने लगा क्योंकि पब्लिक प्रोसी-क्यूटर का काम ही केस प्रोसीक्यूट करने का है। इत्तिफाक की बात यह हुई कि उन डकैतों का एक ब्रीफ उस को मिला और जब उन डकैतों को यह बात मालूम हुई, तो वे गैंग बना कर उस के यहां गये और उस की एक आंख फोड़ दी जबकि सरदार के हुक्म से दोनों आखें फोड़नी थीं। जब वह डकैतों की पार्टी लौट कर सरदार के पास पहुंची, तो उस ने पूछा कि क्या दोनों आखें फोड़ दी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक ही फोड़ी है। उस सरदार ने कहा कि दूसरी आंख भी फोड़ कर आओ। फिर उन डकैतों ने वहां जा कर उस की दूसरी आंख भी फोड़ दी। यह मैंने आप के सामने एक मिसाल रखी है। अगर आप इस सारे मामले की तह में जाने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी कितनी ही मिसालें मौजूद हैं। वहां की नौजवान बहनों की छातियों को उन डकैतों ने काट दिया और अब बिहार की सरकार ने वहां पर पुलिस

[श्री ज़मीलुर्रहमान]

अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जिस के लिए मुंगेर में वहां के सब लोगों ने, अवाम ने बंद किया है और भागलपुर में भी पूरा बंद हुआ है। स्टूडेंट्स फेडरेशन के विद्यार्थियों ने और लेक्चरार ने भी इसमें हिस्सा लिया है। . . . .(व्यवधान). . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a correct Parliamentary procedure. Why are you so much perturbed.

श्री ज़मीलुर्रहमान: श्री रामावतार शास्त्री किस दुनिया में रहते हैं, इनको खबर ही नहीं है कि भागलपुर में और मुंगेर में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, डाक्टर्स, एन्टायर स्कूल टीचर्स, ग्राम प्रमुख, जिला पंचायत, शापकीपर्स सभी पुलिस की हमदर्दी में इस में शामिल हुए थे।

इस के माने क्या हुए? इसके माने यह हुए कि ऐसे अनासिर जो समाज की नींद को हराम किये हुए थे, ऐसे अनासिर जो हमारी मां-बेटियां की इज्जत लूट रहे थे, ऐसे अनासिर जो ब्लेक मार्किटियर्स को बढावा दे रहे थे, ऐसे अनासिर जो खूनखराबा कर रहे थे, ऐसे अनासिरों की मुखालफत में पूरा भागलपुर और मुंगेर बंद हुआ। तिनसुकिया मेल आज क्यों नहीं आयी? इसीलिए नहीं आयी। मैंने भी रिजर्वेशन कराया हुआ था, मेरा भी टिकट था। वह इसलिए नहीं आयी की वहां के लोगों की सिम्पेथी पुलिस वालों के साथ थी।

इसका दूसरा रूप भी है मुरादाबाद और दीगर जगह जहां पर कि पुलिस ने बेकसूर मुसलमानों पर जुर्म किये और अफसोस की बात है कि किसी को वहां सस्पेंड नहीं किया गया जबकि वहां पुलिस वालों को सस्पेंड होना जरूर चाहिए था।

आज खुशी का दिन है कि आज यह बिल यहां आया है। मेरे कहने का मकसद यह है कि ऐसे अनासिर, ऐसे लोग जो कि हमारी समाजी जिन्दगी में एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गये हैं और जिनको कि वीड आउट करना जरूरी है, जिन पर कि कड़ी से कड़ी निगाह रखनी जरूरी है, जिनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना जारी है। अगर मुल्क लुटता है, मुल्क की इज्जत खत्म होती है तो इसका सारे लोगों को दुःख होगा। हां कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं होगा क्योंकि उनका जहन और उनकी तालीम ऐसी ही होती है कि हम ने अंग्रेजों को तो भगा दिया या वे चले गये, अब मुल्क को लुटवाओं या लूटो, मुल्क को तरक्की नहीं करने दो, शांति भंग करते रहो। ऐसे नजरिये के भी कुछ लोग हैं।

यह बहुत ही मुनासिब वक्त आया है कि हमारे लायक वजीर यह बिल लाये हैं। मैं एक मिसाल अर्ज करना चाहता हूं। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब में बहुत से रिवाल्वर और आर्म्स स्मगल्ड हो कर आ रहे थे। क्या ऐसे अनासिरों के लिए यह बिल जरूरी नहीं है?

असाम को लीजिए। वहां मुट्ठीभर लोग सारे मुल्क को रेनसम में डाले हुए हैं। उन्होंने मुल्क के 60 करोड़ लोगों की नींद हराम कर रखी है। आपने देखा होगा कि हजारों-करोड़ों रुपये का जो आयल हमारे मुल्क में पैदा होता था और मुल्क की उससे जरूरत पूरी होती थी, उसको कुछ मुट्ठीभर लोग अपने जातीय मफाद के खातिर पैदा नहीं होने दे रहे हैं और सारे हिन्दुस्तान को रेनसम में डाले हुए हैं। उन लोगों ने सारे हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगी को रेनसम में डाला हुआ है। वहां कुछ बंगाली और मुसलमानों की खासकर जानें ली गयीं चंद लोगों ने सारे हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगी को जहन्नुम में डाल रखा है। ऐसे लोगों के लिए यह कानून निहायत मुनासिब है और यह निहायत ही मुनासिब वक्त पर आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे अनासिर से, ऐसे लोगों से डील करने के लिए यह मुनासिब कानून है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं।

[شری جمیل الرحمان (کشن گنج):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقعہ عنایت فرمایا تاکہ میں نیشنل سیکورٹی بل پر کچھ کہہ سکوں - سب سے پہلی بات جو میں آپ کے

کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایسے سارے لوگ ہیں ایسے سارے تتو ہیں ایسے سارے عناصر ہیں اور ایسے ایلیمینٹس (*elements*) ہیں جو ملک کی سالمیت کو برقرار نہیں رکھ سکتے - ملک میں دخل اندازی ہو ملک کا راز بھیجنے کا سوال ہو یا راز کو دوسری جگہ پہونچانے کا سوال ہو یا کوئی یہ کہے کہ ہمارے ملک کا یہ پرٹیکولر پورشن ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے یا کوئی یہ بات کہے کہ ہمیں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اس ملک پر حملہ کر دو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے - دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں امن بحال ہو کیونکہ امن بحال ہونے سے ملک کی ترقی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہم ہمارے لوگ اس کے لئے کمٹڈ ہیں چاہے اس میں ہماری پارٹی کے لوگ ہوں چاہے دوسری پارٹی کے لوگ ہوں - آج ملک میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں خلل اندازی ملک میں گڑبڑی پھیلا کر ملک کی شانتی کو ختم کیا جائے - یہ ان لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے -

ڈپٹی اسپیکر صاحب - آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے اندر کچھ ایسے عناصر

سامنے رکھوں گا کہ ہم سب کا یہ نصب العین ہے کہ اس ملک کی آزادی اس ملک کی سالمیت اس ملک کا بڑپن ہم سب لوگوں کے لئے سروسامانیہ ہے سب سے اونچا ہے - اس کے لئے میں آپ کی یاد دھانی ہندوستان کی پچھلی تواریخ کی طرف لے جانا چاہوں گا - آزادی کو حاصل کرنے میں ہمارے رہنماؤں نے جو قربانی دی ہے آپ مہاتما گاندھی کو لے لیجیئے پنڈت جواہر لال نہرو کو لے لیجیئے مولانا ابوالکلام آزاد کو لے لیجیئے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو لے لیجیئے دیگر جتنے لوگ ہیں ان سب نے بڑی محنت اور قربانی کے بعد ملک کی آزادی کو حاصل کیا - اب اس کو برقرار رکھنا ہم سب لوگوں کا فرض ہی نہیں بلکہ فرض اولین ہے -

جہاں تک اس بل کے لانے کا سوال ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ ملک میں کچھ ایسے عناصر سر اٹھا رہے ہیں کچھ ایسے عناصر ملک کی سالمیت کے بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں چاہے فرقہ وارانہ فساد ہوں چاہے ذات پات کے نام پر ہوں چاہے بارڈرز پر گڑبڑی کرنے کے نام پر ہو یہ باتیں ملک میں ہو رہی ہیں ہوئی ہیں - تبھی سرکار نے یہ مناسب سمجھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا بل لیا جائے

نہیں ہے لیکن جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اُن کو اگر آپ سنینگے اور میں اگر ان کو بیان کرونگا تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کے گرنے لگینگے - ہمارے پاس یہ رپورٹ آ رہی ہے اور عوام یہ کہتے ہیں کہ اس علاقہ میں تیرھہ دو ورش سے لوگ چین کی نیند نہیں سو رہے تھے - لوگ اپنی ماں بیٹیوں کی عزت نہیں بچا سکتے تھے - میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں - دیوندر ٹھاکر ایک نوجوان ایڈوکیٹ ہے - وہ اپنی لیاقت سے اور قابلیت سے پبلک پراسیکیوٹر بھاگل پور میں بن گیا اور کیس پراسیکیوٹ کرنے لگا کیونکہ پبلک پراسیکیوٹر کا کام ہی پروسیکیوٹ کرنے کا ہے - اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ان ڈکیتوں کا ایک پروف اس کو ملا اور جب ان ڈکیتوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ گیانگ بنا کر اس کے ہاں گئے اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی جب کہ سردار کے حکم سے دونوں آنکھیں پھوڑنی تھیں - جب وہ ڈکیتوں کی پارٹی لوٹ کر سردار کے پاس پہونچی اور اس نے پوچھا کہ کیا دونوں آنکھیں پھوڑ دی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک ہی پھوڑی ہے - اس سردار نے کہا کہ دوسری آنکھ بھی پھوڑ کر آؤ - پھر ان ڈکیتوں نے وہاں جا کر اُس کی دوسری

[شری جمیل الرحمان]

گھس گئے ہیں جن کا وشواس جن کا یقین لوک آوٹس میں ہے - ایسے لوگ بھی ہیں جن کا وشواس ریل کا چکہ جام کرنے میں ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا وشواس جن کا یقین اس بات میں ہے کہ ہندو مسلمانوں کا فساد و جھگڑا ہو - ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کا یقین ہے کہ ذات پات کے جھگڑے بڑھیں ملک میں تاکہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے تاکہ ملک کی پیداوار نہ بڑھ سکے اور ملک کی ترقی نہ ہو - ہماری پارٹی جو اپنے مینی فیسٹو کے مطابق جیت کر آئی ہے اور اس نے اپنی سرکار بنائی ہے تو ایسے لوگ بھی ملک میں ہیں جو ہمارے مینی فیسٹو کو فیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی نظر میں عوام کی نظر میں گر جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے مینی فیسٹو کو پورا نہیں کیا ہے - ..... (انٹرپشنز) آپ بھی اس سے بری نہیں ہیں -

ایک بات میں یہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت زور شور سے ہمارے یہاں بہار سرکار نے کچھ پولیس افسروں کو سسپینڈ کیا - قصوروار ہو اور وہ سسپینڈ ہو جائے تو اس میں مجھے کوئی اعتراض

آنکھ بھی پھوڑ دی - یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے - اگر آپ اس سارے معاملہ کی تہہ میں جانے کی کوشش کرینگے تو پائیں گے کہ ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں - وہاں کی نوجوان بہنوں کی چھاتیوں کو ان ڈاکوؤں نے کاٹ دیا - اور اب بہار کی سرکار نے وہاں پر پولیس افسروں کو سسپینڈ کر دیا ہے - جس کے لئے مونگیر میں وہاں کے سب لوگوں نے عوام نے بند کیا ہے اور بھاگل پور میں بھی پورا بندھ ہوا ہے - اسٹوڈینٹس فیڈریشن کے ودیارتھیوں نے اور لیکچرار نے بھی اس میں حصہ لیا ہے - . . . . .

(انٹرپشنز)

MR. DEPUTY SPEAKER: This is not a correct parliamentary procedure. Why are you so much perturbed?

شری جمیل الرحمان : شری رام اوتار شاستری کس دنیا میں رہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ بھاگل پور میں اور مونگیر میں یونیورسٹی پروفیسرز ڈاکٹر ایڈوکیٹ اسکول ٹیچرز گرام پرمکھ ضلع پنچایت شاپ کیپرز سبھی پولیس کی ہمدردی میں شامل ہوئے تھے -

اس کے معنی کیا ہوئے - اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسے عناصر جو سماج کی نیند کو حرام کئے ہوئے تھے ایسے عناصر جو ہماری ماں بہنوں کی عزت لوٹ رہے تھے ایسے عناصر جو بلیک مارکیٹیرز کو بڑھاوا دے رہے تھے ایسے عناصر جو خون خرابہ کر رہے تھے - ایسے عناصروں کی مخالفت میں پورا بھاگل پور اور مونگیر بند ہوا - تن سکھا مل آج کیوں نہیں آئی - اس لئے نہیں آئی کہ وہاں کے لوگوں کی سہمتی پولیس والوں کے ساتھ تھی -

اس کا دوسرا روپ بھی ہے مرادآباد اور دیگر جگہ جہاں پر کہ پولیس نے بے قصور مسلمانوں پر ظلم کئے اور افسوس کی بات ہے کہ کسی کو وہاں سسپینڈ نہیں کیا گیا جب کہ وہاں پولیس والوں کو سسپینڈ ہونا ضرور چاہیئے تھا -

آج خوشی کا دن ہے کہ آج یہ بل یہاں آیا ہے - میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عناصر ایسے لوگ جو ہماری زندگی میں ایڈمنسٹریشن میں گھس گئے ہیں اور جن کو کہ ویڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے جن پر کڑی سے کڑی نگاہ رکھنی ضروری ہے جن کے خلاف کڑا سے کڑا قدم اٹھانا ضروری ہے - اگر ملک لٹتا ہے ملک کی عزت ختم ہوتی ہے تو اس کا سارے لوگوں کو دکھ ہوگا - ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہیں ہوگا کیونکہ ان کا ذہن اور ان کی تعلیم ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم نے انگریزوں کو الو بنا دیا یا وہ چلے گئے اپنے

[شری جمیل الرحمان]

ملک کو لڑواؤ یا لوٹو - ملک کو ترقی نہیں کرنے دو شانتی بھنگ کرتے رہو - ایسے نظریہ کے بھی کچھ لوگ ہیں -

یہ بہت ہی مناسب وقت آیا ہے کہ ہمارے لائق وزیر یہ بل لائے ہیں - میں ایک مثال .. کرنا چاہتا ہوں - آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ پنجاب میں بہت سے ریوالور اور آرمس (arms) اسمگل ہو کر آرہے تھے - کیا ایسے عناصروں کے لئے یہ بل ضروری نہیں ہے -

آسام کو لیجئے - وہاں مٹھی بھر لوگ سارے ملک کو ریسم (ransom) میں ڈالے ہوئے ہیں - انہوں نے ملک کے ساتھ کروڑ لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہے - آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کروڑوں روپئے کا جو آئل ہمارے ملک میں پیدا ہوا تھا اور ملک کی اس سے ضرورت پوری ہوتی تھی اس کو کچھ مٹھی بھر لوگ اپنے ذاتی مفاد کے خاطر پیدا نہیں ہونے دے رہے ہیں اور سارے ہندوستان کو ریسم میں ڈالے ہوئے ہیں - وہاں کچھ بنگالی اور مسلمانوں کی خاطر جانیں لی گئیں تو چند لوگوں نے سارے ہندوستان کے لوگوں کی زندگی کو جہنم میں ڈال رکھا ہے - ان لوگوں کے لئے یہ قانون نہایت مناسب ہے اور یہ نہایت ہی مناسب وقت پر آیا ہے - مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے عناصر سے ایسے لوگوں سے تہل کرنے کے لئے یہ مناسب قانون ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں -]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Vijay Kumar Yadav. Not here.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): He should be called tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They must be present when I calle them. So, I cannot assure you that I shall call him tomorrow. He should have come and told me.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: You should understand our difficulty.

MR DEPUTY-SPEAKER: Some of the hon. Members have already come and told me that they would speak only tomorrow. Your party member has not come and told me. Now, you say he will speak tomorrow.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: He should have told you what I am telling.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Mr. Brezhnev is coming over here. Some of his party members are busy.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I am the Whip of the party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri R. N. Rakesh. Not here. Shri Jaipal-singh Kaushik. Not here. Shri Chitta Basu. Not here.

Shri Chiranji Lal Sharma.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, there is no quorum.

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the bell be rung.

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल): यह जो बिल सदन के सामने है उस पर बोलते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी माननीय सदस्य ने बड़ी बल्वला-अंगेज तकरीर की । उनकी तकरीर में रस भी था, तरन्नुम भी था, लहजा भी था और डामाटिक भी था । उनकी तकरीर में बार-बार इमरजेंसी का जिक्र आया, वह इमरजेंसी जिस पर हिन्दुस्तान की जनता ने 1980 के इलेक्शन में मुहर-तसदीक लगा दी थी, उस इमरजेंसी पर बोलते हुए अटल जी ने फर्माया कि क्या हक था सरकार को बाबू जयप्रकाश नारायण को गिरफतार करने का ? डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या हक है इस हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को देश के अंदर अलमे-बगावत बुलंद करने का? क्या हक है किसी नागरिक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब कि वह हिन्दुस्तान की पुलिस और फौज को इस चीज की तरगीब दे कि सरकार का हुक्म मानना बंद कर दें? क्या हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को यह अधिकार है कि जो डयूली इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स है उनको असेंबली और पार्लियामेंट से इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए? क्या हिन्दुस्तान के किसी नागरिक को हक है कि लोगों को तरगीब दे कि पार्लियामेंट का घेराव कर लो । आज बाबू जय प्रकाश नारायण हमारे बीच नहीं है । मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है, वे बुजुर्ग नेता थे, लेकिन सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, बहुतों को गिरफ्तार किया लेकिन जनता सरकार के पास इस चीज का क्या जवाब है कि 3 अक्तूबर सन् 1977 को हिन्दुस्तानी की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों 13 घंटे किंग्सवे कैंप के थाने में रखा? उस इंदिरागांधी को जिसने 11 वर्ष तक देश की नैया की खिवैया बनकर इसकी कुलाहे-इफ्तखार को अरशे-बरी पर पहुंचाया । जिस वक्त बंगलादेश ने जन्म लिया तब अटल जी ने मेरे मोहतरम दोस्त ने ही उनको जग-दंबा और दुर्गा भवानी कहा था । बार-बार सदन की तौहीन की जाती है । एमरजेंसी का रोना रोया गया है । एक शेर मैं अर्ज करता हूं ।

एक दिल तुझे रोना है तो जी खोल के रो ले दुनिया से बढ़ कर न कोई वीराना मिलेगा ।

यह स्थान ऐसा है जहां खुल कर बात कही जा सकती है । "इसी दुनिया में ले लेती है कुदरत इंतकाम आखिर" । श्रीमती इंदिरा गांधी जिनको थाने में रखा गया और फिर सात दिन की जेल की सजा दी गई, उसी इंदिरा गांधी ने अपनी एक कलम से 538 सदस्यों को घर बिठा दिया । 1980 की इलैक्शन का नतीजा यही बताता है कि जनता ने उनकी पालिसी का समर्थन किया है, एमरजेंसी का समर्थन किया है । जिस वक्त एमरजेंसी लगी थी उस वक्त हिन्दुस्तान की जनता के मुंह से ये अलफाज सुने जाते थे कि दस बरस पहले इसको लगाया जाना चाहिए था । तब अमनो-इमान था । एमरजेंसी लगने के बाद इन महारथियों को घरों से बुला कर जेलों में ठोका गया तो एक चिड़िया ने भी पर नहीं मारा । लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हर दिल अजीजी का यह आलम था कि आप देखें जब उनको जेल भेजा गया था तो पांच लाख से भी ज्यादा आदिमियों ने खुद बखुद हिन्दुस्तान की जेलों को भर दिया था । यह है उनकी हस्ती ।

इस बिल को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई है ? मैं समझता हूं कि इसको लाने में देरी की गई है। इसको पहले लाया जाना चाहिए था । 1980 की इलैक्शन के बाद-------

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनवरी में लाना चाहिए था ।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : जनवरी में भी इलैकशन के फौरन बाद लाना चाहिए था । जो फिजा ढाई पौने तीन बरस के जनता और लोक दल के राज ने हिन्दुस्तान की खराब की, उसको हिन्दुस्तान की जनता जानती है, उसके खून की होली खेली जाती थी । हमें खुशी है कि इस बीच में हिन्दुस्तान की जनता को जनता पार्टी और लोक दल के राज को देखने का मौका मिला । न मिलता तो कांग्रेस के तीस बरस के राज की कद्र नहीं होती, जनता को दोनों में मुकाबला करने का मौका नहीं मिलता ।

[श्री चिरंजीलाल शर्मा]

एमरजेंसी के दौरान किन को गिरफ्तार किया गया ? उन मगरमच्छों को किया गया जिन्होंने हिन्दुस्तान की इकोनोमी को पैरेलाइज कर दिया था, आर्थिक हालत को बिल्कुल तहसनहस कर दिया था, जो विदेशों से सामान ला कर यहां पर बेचते थे और स्मगलिंग करते थे, जो यहां की इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुले हुए थे । एमरजेंसी के बाद हिन्दुस्तान की इकोनोमी सुधरी। जनता पार्टी ने आते ही सब से पहले उन लोगों से साजबाज करके उनको छुट्टी दी। आज क्या हालत है ? क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं कि स्मगलिंग बढा है ? नहीं कर सकते हैं। यह जो कानून है बलैक मार्केटियर्ज के लिए है, होर्डर्ज के लिए है, समाज विरोधी दुश्मनों के लिए, स्मगलरों के लिए है, उन तबकों के लिए है जो खून की होली खेलने पर तुले हुए हैं, जो भाई बिरादरी के सवाल को उठा कर फिरका परस्ती के नाम पर जजबात को भड़का कर खून की नदियां बहाते हैं।

आजकल सर्दी का मौसम है । आज वह वक्त है, वह मौसम है जब टीचर्ज को प्रोफेसर्ज को, विद्यार्थियों को स्टडीज पर कंसैन्ट्रेट करना चाहिए लेकिन मांगें भी इसी वक्त पैदा की जाती हैं, टीचर्ज और प्रोफेसर्स की तरफ से अभी कहा जाता है कि तनख्वाहें बढ़ाओ वरना आन्दोलन किये जायेंगे । इसी तरह जब गेहूं में पानी देने के लिए या जीरी की फसल में पानी देने के लिए बिजली की जरूरत होती है तो बिजली के कर्मचारी हड़ताल करते हैं और कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढाओ वर्ना हम हड़ताल करते हैं, जब देश में अनाज की मूवमेंट का सवाल आता है, ड्राउट एफेक्टिड इलाकों में अनाज, फैडी वगैरह भेजना मक्सूद है, बंदूक भेजना मक्सूद है, तब रेल कर्मचारी मैदान में उतर आते हैं और कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ वर्ना हम रेल का पहिया जाम करेंगे। सरकार के पास इन से निपटने के लिए कोई हथियार नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी बिल आज आया है । इसको लाने में सरकार के इरादे नेक हैं, बद नहीं हैं । एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जाता है। झाड़ी के पीछे वह समझता है कोई खरगोश है लेकिन कोई आदमी रफाए हाजत के लिए बैठा होता है और वह यह समझ कर कि खरगोश है गोली मार देता है और वह आदमी मर जाता है उस शिकारी को 302 आई. पी. सी. की सजा नहीं मिलती है, नैग्लिजैंस में पांच छः महीने की ही होती है और वह इस वास्ते कि उसका इरादा आदमी को मारने का नहीं था बल्कि खरगोश का शिकार करने का था । इसी प्रकार सरकार का इरादा नेक है ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : कहने का मतलब क्या है ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : कहने का मतलब यह है कि सरकार का इरादा आप लोगों को अंदर करने का नहीं है, सरकार का इरादा ब्लैक-मार्केटियर्ज का मुकाबला करने का है ।

आज हमारे हरियाणा प्रांत में रोहतक और सोनीपत की शूगर मिलें बंद पड़ी हैं। उन पर सरकार के करोड़ों रुपये लगे हुये हैं। लोक दल के नेता किसानों को तरगीब देते हैं कि मिलों में गन्ना न ले जाओ और यहां शोर करते हैं कि चीनी नहीं मिलती है, चीनी मंहगी है और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं । वे देहात में कहते हैं कि मंडियों में अनाज न ले जाओं और शहर में कहते हैं कि अनाज नहीं मिलता है। "एक मुरतिया में दो सुरतिया" । इन बातों को किस तरह सब्रो-तहम्मुल से बर्दाश्त किया जाये ? शूगर मिलों पर करोड़ों रुपये खर्च किये हुए हैं, जिनमें हजारों वर्कर काम करते हैं । इससे स्टेट्स की इकानोमी पर असर पड़ता है, टैक्सिज पर असर पड़ता है शहर कहते हैं कि अनाज नहीं मिलता है। है कि गन्ना मिलों में न ले जाओं।

वैस्ट बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार यह कानून लागू नहीं करेगी । मैं आपकी इजाजत से उस सरकार का नक्शा यहां पर पेश करना चाहता हूं । मैं वह लैटर पढना चाहता हूं, जो श्री गनी खान चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उसको सुन कर रौंगटे खड़े हो जायेंगे ।

उस लेटर में लिखा है:—

"Enclosed please find a photograph and another copy of four unfortunate people of Malda. The names are as follows:

1. Jamaludin Mia, S/o late Liaqat Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.

2. Akub Mia, S/o late Ijaruddin Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.

3. Abdul Mia, S/o Kalimuddin Mia, Vill. Sehera, Post Sultan Nagar.

4. Sabun Mia, S/o Kalimuddin Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.

On 27th October, 1980, CPI(M) party in Malda held Gana Adalat (People's Court). By a socalled judgment of this purported court, all these four persons were severely tortured and they were made blind by the use of long needle and thereafter some herbs were put in so that they are made permanently blind....."

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, this incident has no connection with our party. My party is being involved unnecessarily. My party is being blamed. (*Interruptions*). The ruling party people are fighting among themselves and they are putting the blame on the CPI(M). (*Interruptions*) This is the reality. Sir, they are fighting among themselves. (*Interruptions*) This will result in individual killings further... (*Interruptions*)

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Let me complete the matter in the letter.

"Although this incident took place on 27th October this only came to light about four days ago. It transpired that after the said purported court's judgement and after the four persons were made blind, police arrested all the four and put them behind the bars. They came out on bail only four days ago and that is how we have now come to know about the same. It is said that during the time when they were in jail custody no relations of those four persons were allowed to see them.

Congress(I) workers from Malda have come to me and stated that all those persons will be murdered any day so that the evidence may be totally wiped out.

Therefore, It is necessary to cause an immediate enquiry and also to see that these four persons may be given proper security."

Sd/- A.B.A. Ghani Khan Choudhury"
8-12-1980.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is all wrong....Yours is a party which mobilises so many anti-social people... (*Interruptions*) You are fighting among your selves... (*Interruptions*).

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): If he is so unhappy, let him agree to an enquiry. There is a proposal for an enquiry. Let him agree on behalf of his party.... (*Interruptions*).

SHRI SAMAR MUKHERJEE: You are mobilising all the anti-social people.... (*Interruptions*). Police is being bribed by you..You are laying blame on the CPIM.... (*Interruptions*). Ours is a party of the working people, a revolutionary party and with revolutionary ideology. We believe in class struggles and not in individual murders..... (*Interruptions*). History will prove it.....This is all made up. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER Order, please. You may continue. Mr. Sharma.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Mr. Deputy Speaker, Sir....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue the next day.

17.49 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 11, 1980/Agrahayana 20, 1902 (Saka).

G.M.G.I.P.N.D.—Job III—2978 Ls—29-1.81—890.